उत्तरखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

सरकारी अपील नं– 33/2014

उत्तराखण्ड राज्य..... अपीलार्थी

बनाम

आबिद अली /असद अली /अजीत सिंह /अबू बकर.....प्रतिउत्तरदाता

उपस्थितः–

श्री जी0एस0 संधू, मय सहायक अधिवक्ता, श्री ललित मिगलानी,
राज्य के लिए ए0जी0ए/अपीलार्थी के अधिवक्ता।
श्री एस. सी. दुमका, न्यायालय मित्र।
सुश्री मनीषा भंडारी, श्री बी0डी0 पांडे और श्री एच0सी0 पाठक,
प्रतिउत्तरदाता के अधिवक्ता।

निर्णय

उपस्थितः माननीय रवींद्र मैथानी, जे.

वर्तमान सरकारी अपील, जेल अपील सं. 7/2013 असद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य,(संक्षेप में, ''अपील'') में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार की न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2013 के विरुद्ध योजित की गयी है। आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा आपराधिक वाद सं0 2596/2010, राज्य बनाम आबिद अली /असद अली /अबू बकर उर्फ अजीत सिंह (संक्षेप में मामला) को भा.दं.सं. की धारा 419,420,467,468,469,471 और 120 बी, धारा 14 विदेशी अधिनियम, 1946 (संक्षेप में, ''विदेशी अधिनियम''), पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1ए) (ए) (संक्षेप में, ''पासपोर्ट अधिनियम''), शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 (संक्षेप में, ''शायकीय गोपनीयता अधिनियम'') और आक्षेपित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत 19.12.2012 को प्रतिवादी आबिद अली /असद अली /अबूब आदेश /अजीत सिंह (इसके बाद ''अभियुक्त'' के रूप में संदर्भित) दोषसिद्धि और दण्डादिष्ट करने के आदेश को अपास्त करते हुए अभियुक्त को आरोपो से दोषमुक्त कर दिया गया है। मामले में, आरोपी को शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 और 9 के तहत आरोप का भी दोषी ठहराया गया है, लेकिन

आरोपी को उसके तहत सजा नहीं सुनाई गई थी। अपील में, शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 और 9 के तहत आरोप के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

2. वर्तमान अपील के निपटारे के लिए , संक्षेप में बताए गए, आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:–

(i) पी0डब्ल्यू0 1 आर0 बी0 चमोला को एटीएस कुंभ मेला, 2010, हरिद्वार के प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन, लगभग सुबह बजे 9:00 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक पाकिस्तानी नागरिक असद अली भारत में अवैध रूप से रह रहा है और वह पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी, आईएसआई के संपर्क में है। वह सैन्य जानकारी, तस्वीरें और दस्तावेज एकत्र करता है, जो राष्ट्र की अखण्डता और संप्रभुता के लिए खतरनाक है। प्राप्त सूचना के अनुसार, असद अली लगभग 2:00 बजे कूरियर द्वारा कुछ लेख प्रसारित करने के लिए बीएसएम तिराहा, रुड़की में पहुंचेगा। इस सूचना के आधार पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पीडब्लू 3 हेड कांस्टेबल, दीपक अरोड़ा, पीडब्लू 4 सब इंस्पेक्टर, नदीम अतहर, पीडब्लू 5 सब इंस्पेक्टर, प्रदीप रावत और पीडब्लू 6 सब–इंस्पेक्टर, विनोद कुमार जेठा शामिल थे। टीम इंगित स्थान पर आगे बढ़ी। टीम के सदस्यों ने खुद की तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु न हो। मुखबिर पुलिस दल के साथ था। कुछ समय बाद, एक व्यक्ति को सूचना देने वाले ने संकेत दिया कि वह असद अली है। उस व्यक्ति को पुलिस टीम ने 1:50 बजे गिरफ्तार किया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम असद अली, पुत्र बरकत अली, निवासी 22 शाहपीर गेट, मेरठ, उत्तर प्रदेश बताया। उनके दाहिने हाथ से एक लिफाफा बरामद किया गया था, जिसमें सेना से संबंधित रेखाचित्र थे। उस लिफाफे में अन्य गुप्त जानकारी भी थी। इसके अलावा उसके पास से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कई अन्य सामान बरामद किए गए। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। फिर उसने खुलासा किया कि उसका असली नाम आबिद अली /असद अली /अबू बकर, /अजीत सिंह है, और वह मोहल्ला हजरत बाबा, हाजी शाह सलीम, गाँव हजजरवाल, पुलिस स्टेशन ठोकर नियाज बेग, डाकघर मंसूर, जिला लाहौर, पाकिस्तान का निवासी है। आरोपी ने खुलासा किया कि उसे मेजर अमीर अली उर्फ राठौर और आईएसआई के अल्ताफ ने भारत भेजा था। लाहौर में दो महीने के प्रशिक्षण के बाद, उन्हें गुप्त जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा गया। कराची से उन्हें ढाका और काठमांडू भेजा गया और वहां से एक एजेंट अश–उर–रहमान उर्फ नूर–उल–इल्ताफ की मदद से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। वह लखनऊ गया और निर्देश के तहत, वह मेरठ

में आईएसआई एजेंट रेहान से मिला। अभियुक्त ने सैन्य जानकारी एकत्र करने के लिए, पटियाला नाभा छावनी का दौरा किया और इसे अपने ई–मेल आईडी AJEETSINGH&2005@Yahoo द्वारा आमिर राठौर की ई–मेल आई डी loverboy196050@Yahoo-d, पर ई–मेल भेजा।

(ii) अभियुक्त के अनुसार, वह मेजर राठौर के निर्देश पर काम कर रहा था। वह मेरठ, रुड़की, देहरादून और बीकानेर की सैन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहा था। उन्हें दुबई और जर्मनी से वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर (संक्षेप में, ''डब्ल्यूयूएमटी'') द्वारा से धन प्राप्त होता था। जगदीश ने भी उनकी सहायता की। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि उसने विभिन्न बैंक खाते खोले थे। मुस्कान नाम की एक महिला उसकी पत्नी के रूप में उनके साथ थी और बाद में, उन्होंने वर्ष 2009 में साहिस्ता से शादी की। आरोपी के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी की तारीख पर, उसे संयुक्त अरब अमीरात (संक्षेप में, ''यूएई'') के अब्दुल मुनाफ को एक लिफाफा भेजना था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक फर्द बरामदगी तैयार किया गया था और मामला अपराध सं0 23/2010, शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 के तहत, सपठित भा.दं.सं. की धारा 120–बी, विदेशी अधि ानियम की धारा 14, भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469 और 471 के तहत आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोटवाली गंगनहर, रुड़की, जिला हरिद्वार में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना प्रचलन में लायी गयी।

(iii) विवेचना के बाद, विभिन्न अपराधों और शिकायतों के तहत आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 के सपठित धारा 120बी भ0द0सं0 प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर मामले की कार्यवाही शुरू की गई। सह–अभियुक्त जगदीश प्रसाद के खिलाफ भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। राज्य ने उसकी दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील नहीं की।

3. आरोपी पर भा.दं.सं. की धारा 419,420,467,468,469,471,120–बी, विदेशी अधिनियम की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए), सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा।

4. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 24 गवाहों को परिक्षित कराया, जिनके नाम पीडब्लू 1 सब इंस्पेक्टर, आरबी चमोला, पीडब्लू

2 कांस्टेबल, संजय राम, पीडब्लू 3 हेड कांस्टेबल, दीपक अरोड़ा, पीडब्लू 4 सब–इंस्पेक्टर नदीम अतहर, पीडब्लू 5 सब इंस्पेक्टर, प्रदीप रावत, पीडब्लू 6, इंस्पेक्टर, विनोद कुमार जेठा, पीडब्लू 7 अरुण कुमार, पीडब्लू 8 राकेश कुमार, पीडब्लू 9 विपिन गुप्ता, पीडब्लू 10 योगेश कुमार, पीडब्लू 11 बी0के0 गुप्ता, पीडब्लू12 धीरेंद्र कुमार सिंह, पीडब्लू13 कर्नल, राजू प्रसाद, पीडब्लू14 सब इंस्पेक्टर, निर्वाकर, पीडब्लू15 पुलिस अधीक्षक, जन्मेजय धारूरी, पीडब्लू16 सब इंस्पेक्टर, सच्चिदानंद, पीडब्लू17 सर्कल ऑफिसर, कमलेश उपाध्याय, पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत, पीडब्लू19 प्रेम सिंह, पीडब्लू20 अनुज कुमार, पीडब्लू21 सब–इंस्पेक्टर, दर्शन प्रसाद, पीडब्लू22 सुनील कुमार रस्तोगी, पीडब्लू23 जसवीर सिंह और पीडब्लू24 संजय वर्मा। अपने बचाव में, अभियुक्त ने पाँच गवाहों, डी. डब्ल्यू. 1 अफसारी, डी. डब्ल्यू. 2 साहिस्ता, डी. डब्ल्यू. 3 दिलशाद अहमद, डी. डब्ल्यू. 4 सद्दाम अली और डी. डब्ल्यू. 5 मोहम्मद यामीन को न्यायालय में परिक्षित कराया।

5. अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ''संहिता'') की धारा 313 के अंतगर्त परीक्षा की गई। जिसमे उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले को इनकार कर दिया। उसके अनुसार, उनका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है। उसने कभी भी पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं किया। उसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। उसे विदेशों से कोई पैसा नहीं मिला। उसके अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते में, मोहम्मद यामीन, जो उसका परिचित है, ने कुछ पैसे भेजे थे।

6. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् मामले में पारित 19.12.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 419,420,467,468,469,471,120ख, विदेशी अधिनियम की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1क) (क), सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन आरोप का दोषी ठहराया गया था और इसके अधीन दंडादेश दिया गया थाः–

(i) भा.दं.सं. की धारा 419 के तहत, तीन साल का सश्रम कारावास।

(ii) भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत, सात साल का सश्रम कारावास और 1,000/–रू0 जुर्माना तथा व्यतिक्रम पर अभियुक्त को दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(iii) भा.दं.सं. की धारा 467 के तहत, सात साल का सश्रम कारावास और 1,000/–रू0 जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(iv) भा.दं.सं. की धारा 468 के तहत, सात साल का सश्रम कारावास और 1,000/–रू0 जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(v) भा.दं.सं. की धारा 469 के तहत, तीन साल का सश्रम कारावास और 500/–रू0 जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(vi) भा.दं.सं. की धारा 471 के तहत, दो साल का सश्रम कारावास।

(vii) भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत, सात साल का सश्रम कारावास और 1,000/–रू0 जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को आगे दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(viii) विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत, पांच साल का सश्रम कारावास और 2,000/–रू0 जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को चार महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(ix) पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए) के तहत, छह महीने का साधारण कारावास।

(x) शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत, सात साल का कठोर कारावास।

(xi) लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 31 के तहत, एक वर्ष का कठोर कारावास।

सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

7. अभियुक्त ने 19.12.2012 के निर्णय और आदेश को अपील में चुनौती दी। जैसा कि कहा गया है, आक्षेपित निर्णय के द्वारा दिनांक 22.07.2013 को निचली न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को सुनायी गयी दोषसिद्धि और दण्डादेश की सजा को रद्द कर अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, राज्य के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

8. पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

9. अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

(i) शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत दंडनीय अपराध।

(ii) गलत पहचान का खुलासा करने और वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय (धारा 419,420,467,468 के अधीन अपराध, 469 और 471 आईपीसी) अपराध।

(iii) गलत जानकारी देकर पासपोर्ट प्राप्त करने और किसी वैध दस्तावेज के बिना भारत में रहने (विदेशी अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए) के तहत दंडनीय अपराध।

(iv) झूठे शपथ पत्र के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध।

10. निचली निचली न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया था। अपील में निचली न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया गया है। इस देश में आपराधिक न्यायशास्त्र का सुनहरा नियम दोषी साबित होने तक अभियुक्त को निर्दोष मानता है। बरी होना दोषमुक्ति के इस संदेह की पुष्टि करता है। एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद संदेह दूर हो जाता है। दोषमुक्ति किये जाने के मामले में, यह व्यवस्थित कानून है कि यदि दो विचार संभव हैं, तो अपील न्यायालय को वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अभियुक्त के लिए अनुकूल हो। गोविंदराजू /गोविंदा बनाम राज्य और अन्य (2012) 4 एस. सी. सी. 722 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:–

''11. साक्ष्य का विश्लेषण के संबंध में नियमों के अलावा, न्यायालय को भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र इत्यादि के तहत कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। निष्पक्ष विचारण और निर्दोषता की उपधारणा का अधिकार, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रशासन के दो आवश्यक तत्व हैं। एक व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है और एक बार आपराधिक आरोप का दोषी नहीं माना जाता है, तो उसे ऐसी उपधारणा का लाभ मिलता है जिसमें न्यायालयें केवल सम्मोहक कारणों से हस्तक्षेप कर सकती हैं, न कि केवल इसलिए कि साक्ष्य के विश्लेश्षण पर दूसरा दृ ष्टिकोण संभव था। न्यायालय द्वारा अभिलिखित परिणाम में विकृति के तत्व का पता लगाया जाना चाहिए, या चाहे वो कानून की हो या साक्ष्य के विश्लेषण की।

12. विधायिका ने अपने विवेक में, दोषसिद्धि के मामले में एक अभियुक्त द्वारा की गई अपील के विपरीत, दोषमुक्ति प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के संदर्भ में अपील करने की अनुमति की अवधारणा पेश की है। यह एक संकेत है कि बरी होने की अपील को सामान्य अपील की तुलना में कुछ अलग आधार पर रखा जाता है। लेकिन एक बार अनुमति दिए जाने के बाद, सामान्य अपील और दोषमुक्ति किये जाने के खिलाफ अपील

के बीच शायद ही कोई अंतर होता है। दोषमुक्ति प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपील करने की अनुमति की अवधारणा को नियमित अपील के मामले में गुण–दोष के आधार पर अपील न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश और निर्णय पर विचार के बीच एक अतिरिक्त चरण के रूप में पेश किया गया है। धारा 378 की उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि उपधारा (1) या (2) के अधीन उच्च न्यायालय में किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के अतिरिक्त विचार नहीं किया जाएगा। दोषमुक्ति किये जाने के फैसले को एक निश्चित मूल्य देने के इस विधायी इरादे को न्यायालयों द्वारा नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।''

11. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा 22.11.2017 को अपील करने की अनुमति दी गई थी।

12. विवाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह उचित होगा कि आरोपों के विभिन्न शीर्षों के तहत, बहस और साक्ष्यों की समीक्षा की जाए।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत अपराध

13. जैसा कि कहा गया है, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 24 गवाहों को परिक्षित कराया है और बड़ी संख्या में दस्तावेज भी पेश किए हैं। अभियुक्त ने अपने बचाव में पाँच गवाहों को परिक्षित कराया है। न्यायालय सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत आरोप को लेता है। ये आरोप इन आरोपों पर लगाए गए हैं कि अभियुक्तों ने पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी आईएसआई को विभिन्न गुप्त दस्तावेज भेजे और वे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखण्डता को प्रभावित कर रहे थे। इन आरोपों के अनुसार 25.01.2010 को, जब 01:50 बजे, आरोपी को पकड़ लिया गया, उसके दाहिने हाथ से एक लिफाफा बरामद किया गया। इसमें स्केच मानचित्र प्रदर्श 33 और सैन्य प्रतिष्ठान प्रदर्श 35 और 36 की एक टेलीफोन निर्देशिका थी ।

14. यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों से कथित रूप से बरामद किए गए दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से आरोप में शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान बरामदगी के सबूत प्रस्तुत किया हैं। अभियुक्त ने अपने दम पर गवाहों से जिरह भी की। उनसे 25.01.2010 को की गई बरामदगी के बारे में पूछा गया था,

विशेष रूप से, सैन्य प्रतिष्ठानों के स्केच मानचित्र और सैन्य अधिकारियों के टेलीफोन नंबर वाले लिफाफे के संबंध में(कोड की धारा 313 के तहत आरोपी की जांच का प्रश्न 3)। अभियुक्त ने ऐसी किसी भी बरामदगी से इनकार किया। अभियुक्त से पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद के साक्ष्य के बारे में भी पूछा गया, जिन्होंने कहा है कि अभियुक्तों से बरामद किए गए नक्शे और टेलीफोन निर्देशिका गुप्त दस्तावेज थे (कोड की धारा 313 के तहत परीक्षा के लिए प्रश्न 19) और अभियुक्त ने इसके जवाब में कहा है कि पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद ने झूठे साक्ष्य दिए थे।

15. स्केच मानचित्र प्रदर्श 33, जो 25.01.2010 को अभियुक्तों से बरामद किया गया था, उस पर कुछ लिखा था। उस पर हस्तलेख की पहचान करने के लिए आरोपी का नमूना हस्ताक्षर 08.02.2010 को न्यायालय के समक्ष लिया गया और इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। न्यायालयिक विज्ञानं प्रयोगशाला (संक्षेप में, ''एफएसएल'') रिपोर्ट को पीडब्लू 18 नवीन चंद्र पंत द्वारा साबित किया गया है। पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत के बयान के बारे में पूछे जाने पर (हालांकि यह संयुक्त रूप से पूछा गया था), आरोपी ने कहा है कि पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत गलत सबूत देते हैं। उक्त तथा अन्य कारक, जिन्हें मुकदमे के दौरान आरोपी के संज्ञान में लाया गया था, यह स्थापित करते हैं कि आरोपी को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में पता था।

16. राज्य की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि पी0डब्ल्यू0 1 उप–निरीक्षक,आर0बी0 चमोला, पीडब्लू 3 हेड कांस्टेबल, दीपक रावत, पीडब्लू 4 सब इंस्पेक्टर, नदीम अतहर, पीडब्लू 5 सब इंस्पेक्टर, प्रदीप रावत और पीडब्लू 6 इंस्पेक्टर, विनोद कुमार जेठा ने आरोपियों के कब्जे से इन गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी को साबित किया है। विद्वान राज्य के शासकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया है किः–

(i) स्केच मानचित्र प्रदर्श 33 में लेखन भी किया गया था। इसलिए, विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के लिए, आरोपी का नमूना हस्तलेख लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि स्केच मानचित्रण प्रदर्श 33 अभियुक्त की लिखावट थी। यह पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत और पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद द्वारा साबित किया गया है, जिन्होंने कहा है कि बरामद किए गए दस्तावेज सैन्य गोपनीय दस्तावेज हैं।

(ii) यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अभियुक्त के कब्जे से, सैन्य प्रतिष्ठान के स्केच मानचित्र के साथ–साथ सैन्य अधिकारियों की टेलीफोन निर्देशिका बरामद की गई थी और यह शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध साबित करता है।

17. यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अपील की सुनवाई के दौरान, एक स्तर पर, जब आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, 13.03.2018 को, श्री के0एस0 वर्मा, अधिवक्ता को न्यायालय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया।इसलिए, 10.10.2019 को, श्री एस0सी0 दुमका, अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री बी0डी0 पांडे, सुश्री मनीषा भंडारी और श्री एच. सी. पाठक ने भी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किया और विद्वान न्यायमित्र ने न्यायालय की सहायता करना जारी रखा।

18. अभियुक्त की ओर से, विद्वान न्यायमित्र ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पीडब्लू 13 कर्नल राजू प्रसाद का बयान विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब उन्होंने लिफाफे की जांच की तो उस पर क्या लिखा था। उन्होंने यह भी कहा है कि पीडब्लू 18 नवीन चंद्र पंत का सबूत भी विश्वसनीय नहीं है।

19. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मनीषा भंडारी ने कहा कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध निम्नलिखित कारणों से नहीं बनता है:–

(i) किसी प्रमाणिक व प्राधिकृत व्यक्ति के इस कथन के अभाव में कि दस्तावेज की प्रमाणिकता गोपनीयता की प्रकृति की है और वह शत्रु देश को फायदा पहुचाने वाली है बरामदसुदा स्केच मानचित्र अर्थहीन और अप्रासंगिक हैं। यह सिद्ध नहीं हुआ है।

(ii) आरोपों के अनुसार, एक जगदीश की मदद से, आरोपी द्वारा जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन जगदीश को पहले ही बरी कर दिया गया है और राज्य ने अपील में इसे चुनौती नहीं दिया है।

(iii) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रासंगिक गवाहों को हटा दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यदि ऐसे गवाह पेश किए जाते, तो यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ होता है।

(iv) क्योंकि दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं इस कारण यह गोपनीय नहीं है। यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपी ने कोई संवाद किया था। इसलिए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को आकर्षित होने का कोई अवसर नहीं है।

(v) अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने बरामदगी के समय एक लैपटॉप आदि उससे बरामद होना स्वीकार किया है। लेकिन, कुछ भी जांच नहीं की गई, जो इसे साबित करता हो। यह और कुछ नहीं है, बल्कि एक कोरी कल्पना है।

20. पी0डब्ल्यू 1 आर0बी0 चमोला सूचना प्राप्त अधिकारी है। उनके वरिष्ठों को सूचित करने के बाद, एक दल का गठन किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि 25.01.2010 को लगभग 9:00 बजे सुबह, उन्हें एक विशेष स्थान पर आरोपी के आने की जानकारी मिली। उनके पास पहले से ही यह जानकारी थी कि असद अली नाम का एक व्यक्ति सैन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहा था और इसे आगे आईएसआई, पाकिस्तानी गुप्त एजेंसी को प्रेषित कर रहा था। पी0डब्ल्यू0 1 आर0बी0 चमोला ने विस्तार से कथन किया है कि वह बीएसएम तिराहा, रुड़की कैसे पहुंचे, जब मुखबिर ने आरोपी को संकेत दिया कि वह असद अली था। पी0डब्ल्यू0 1 आ0बी0 चमोला के अनुसार जब अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त के दाहिने हाथ से, एक लिफाफा बरामद किया गया, जिसमें स्केच मैप्स प्रदर्श 33 और सैन्य प्रतिष्ठान की एक टेलीफोन निर्देशिका प्रदर्श 35 और 36 थी। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास से कई अन्य सामान भी बरामद किए गए थे। पी0डब्ल्यू0 1 आर0बी0 चमोला ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने फर्द बरामदगी प्रदर्श ए1 को साबित किया है।

21. न्यायालय इन सभी सामानों को प्रदर्श 1 से 32, प्रदर्श 34 और 37 से 41 को सूचीबद्ध करना आवश्यक नहीं समझता है। इसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कई अन्य सामान शामिल हैं। पी0डब्लू0 3 दीपक अरोड़ा, पी0डब्लू0 4 नदीम अतहर, पी0डब्लू0 5 प्रदीप रावत और पी0डब्लू0 6 विनोद कुमार जेठा ने पी0डब्लू0 1 आर0बी0 चमोला के बयान की पुष्टि की है। सभी बरामदगी के गवाह हैं और उन्होंने 25.01.2010 को बीएसएम तिराहा, रुड़की के पास आरोपी को गिरफ्तार किया।

22. पीडब्लू2 कॉन्सटेबल संजय राम तत्काल समय में पुलिस स्टेशन कोतवाली गंगनहर, रुड़की में तैनात थे। उनके अनुसार, 25.01.2010 को केस क्राइम नं. 23/2010 आर0बी0 चमोला द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्द बरामदगी के आधार पर दर्ज किया गया था। इस गवाह ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श ए2 और सामान्य डायरी की प्रविष्टियों की एक प्रति, जिसके द्वारा मामला दर्ज किया गया था, को साबित किया है जो प्रदर्श ए3 है।

23. इस स्तर पर ही कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है। पीडब्लू1 आर. बी. चमोला ने यह कहा है कि जब घटनास्थल पर गिरफ्तारी किया गया, तो सामान बरामद कर लिए गए तब घटनास्थल पर फर्द बरामदगी प्रदर्श ए1 तैयार किया गया था। वस्तुओं को सील कर दिया गया था। नमूना सील तैयार किया गया (पी0डब्लू0 1 आर0बी0चमोला

का बयान पृष्ठ 5 नीचे से तीसरी पंक्ति)। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद, अभियुक्त को फर्द बरामदगी प्रदर्श ए1 के आधार पर थाना कोतवाली गंगनहर रूडकी में दाखिल किया गया था। पुलिस स्टेशन की सामान्य डायरी में प्रविष्टियाँ की गई थीं यह पी0डब्लू 2 कांस्टेबल, संजय राम द्वारा प्रदर्श ए3 के रूप में साबित किया गया है। सामान्य डायरी में की गयी प्रविष्टियों में दर्ज है कि फर्द बरामदगी के साथ, जिसे सील कर दिया गया था, नमूना मुहर भी पुलिस स्टेशन में दायर की गई थी, जिसे पुलिस स्टेशन में रखा गया था।

24. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामला किसी भी हथियार या अवैध मादक पदार्थ आदि की बरामदगी का मामला नहीं है। सैन्य अधिकारियों की टेलीफोन निर्देशिका के अलावा, मामला यह है कि सैन्य प्रतिष्ठानों के स्केच मानचित्र आरोपी से बरामद किए गए थे, जो कि प्रदर्श 33 है और इन मानचित्रों पर भी लिखा हुआ था तो, कुछ हद तक, इस तरह के लेखों को मौके पर सील किया गया था या नहीं और नमूना लिया गया था या नहीं, किसी तरह महत्व खो देता है, क्योंकि यह मामला है कि स्केच मानचित्रों पर भी लिखा था। लेकिन, जैसा कि कहा गया है, वर्तमान मामले में, पी0डब्लू 1 आर0बी0 चमोला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब स्केच मानचित्र और अन्य दस्तावेजों सहित लेख अभियुक्तों से बरामद किए गए थे, तो फर्द बरामदगी तैयार किया गया था, लेखों को सील किया गया था और नमूने की मुहर ली गई थी। फर्द बरामदगी के आधार पर आरोपी को पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के समय, संबंधित पुलिस स्टेशन की सामान्य डायरी में, यह उल्लेख किया गया है कि बरामद की गई वस्तुएं, नमूना मुहर के साथ सीलबंद स्थिति में पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई थीं।

25. बात यहीं नहीं रुकी। इस न्यायालय के समक्ष मामले का अभिलेख है। अभिलेख पर अन्वेषण अधिकारी पीडब्लू 14 उप निरीक्षक, निर्विकर का दिनांक 07.02.2010 का एक पत्र है, जिसके द्वारा उन्होंने संबंधित न्यायालय से सीलबंद लिफाफे और अन्य वस्तुओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अनुरोध किया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की के न्यायालय ने 07.02.2010 को अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, 07.02.2010 को ही पीडब्लू 14 निर्विकर ने संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था कि स्केच मानचित्रों पर लिखावट अभियुक्त की है, इसलिए, उसका नमूना हस्तलेख लिया जा सकता है। अपने बयान में पेज नं. 6 पर पीडब्लू 14 निर्विकर ने इसके बारे में कहा है कि उन्होंने आरोपी के नमूने के हस्ताक्षर लिए और इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की न्यायालय द्वारा पीडब्लू 14 निर्विकर के दिनांक 07.02.2010 के

आवेदन को 08.02.2010 को अनुमति दी गई थी और न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आरोपी की नमूना लिखावट ली जाए।अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर 08.02.2010 को न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की उपस्थिति में लिया गया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा एफएसएल, उत्तराखण्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

26. एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.02.2010 को दी। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने फिर से एफएसएल उत्तराखण्ड के साथ पत्राचार किया और इसलिए, एफएसएल, उत्तराखण्ड ने 09.03.2010 को एक और रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट अभिलेख पर प्रदर्श ए82 है जिसे न्यायालय के समक्ष 09.07.2012 को पीडब्लू 18 नवीन चंद्र पंत द्वारा सिद्ध किया गया। रिपोर्ट को साबित करते हुए, पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत ने पृष्ठ 4, दूसरी पंक्ति के बाद कहा है कि प्रदर्श एक्स ए82, मूल रिपोर्ट उनके सामने थी। इसके बाद उन्होंने इसे साबित किया। एफएसएल, उत्तराखण्ड की दिनांक 23.02. 2010 और 09.03.2010 की मूल रिपोर्ट अभिलेख में हैं। न्यायालय के समक्ष 08.02.2010 को लिए गए अभियुक्तों के नमूना हस्ताक्षर, रिपोर्ट प्रदर्श ए–82का हिस्सा हैं जिसे प्रदर्श एस 1 से एस–6 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके तीन पृष्ठ एस–1, एस–2 व एस–3 हिंदी में और पृष्ठ 4, 5 और 6 अंग्रेजी में लिखे गये हैं। बरामद स्केच मानचित्र, प्रदर्श 33, जो 24.07.2010 को पी0डब्लू 1 आर0वी0 चमोला के द्वारा साबित किया गया था मूल रूप से न्यायालय के अभिलेख पर है, जो तीन रेखाचित्र मानचित्र हैं और उन पर विवादित लेखको को क्यू 1 से क्यू 14 के रूप में चिह्नित किया गया है।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 25.01.2010 को, प्रदर्श 33 स्केच मानचित्रों के अलावा। आर्मी की टेलीफोन निर्देशिका, प्रदर्श 35 और 36 भी बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 07.02.2010 को भी, आरोपी के कहने पर, कबीर अहमद के घर से, तीन और नक्शे बरामद किए गए थे, लेकिन वर्तमान आरोप के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष ने इन नक्शे पर भरोसा नहीं किया है।पीडब्लू14 निर्वाकर और पीडब्लू6 विनोद कुमार जेठा ने इसके बारे में बताया है।लेकिन, 07.02.2010 की बरामदगी शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत आरोप का आधार नहीं है।

28. 25.01.2010 को, जब अभियुक्तों से नक्शे और अन्य गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए, तो अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड आदि भी उसके पास से बरामद भी किया गया।बहस के दौरान, अभियुक्त की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि इस तरह के लेखों की कभी जांच नहीं की गई और न ही फोरेंसिक रूप से जांच

की गई।यह कथन सही नहीं है। अवर न्यायालय के अभिलेख में, जांच अधिकारी, पीडब्लू 14 निर्विकर का दिनांक 22.02.2010 का एक आवेदन है, जिसके द्वारा उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि बरामद लैपटॉप, पेन–ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन आदि को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए।अपने बयान के पृष्ठ 11 में, प्रथम पैरा, नीचे की पंक्तियों में, पीडब्लू 14 निर्विकार ने कहा है कि 22.02.2010 को वह लैपटॉप, पेन–ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन आदि फोरेंसिक जाँच के लिए भेजने के लिए न्यायालय में पेश हुआ था। पीडब्लू 14 निर्विकार के आवेदन पर, जो दिनांक 22.02.2010 है, अभिलेख पर, न्यायालय ने ''न्याय के हित में अनुमति'' का आदेश दिया और एक विस्तृत आदेश पारित किया।वास्तव में, लेखों को एफएसएल, चंडीगढ़ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और एक रिपोर्ट दिनांक 26.04.2010 को प्राप्त हुई थी, जो रिकॉर्ड पर भी है, जिसमें जांच किए गए लेखों का विवरण दिया गया है, जो नीचे दिए गए हैंः–

पार्सल, प्रदर्श और मुहरों का विवरणःएक कपड़े के पार्सल को मुहर के निशान के साथ सील किया जाता है, जो आगे भेजे गए नमूना मुहर के निशान के अनुरूप है।

पार्सल नं. प्रदर्शओं का विवरण और अंकन कपडा पार्सल इसमें निम्नलिखित प्रदर्शिती आइटम शामिल थेः

i- एक लैपटॉप (एच. सी. एल., एस. नं. सी084एएक्स222165) जिसमें एक हार्ड डिस्क (डब्ल्यूडीस्कोपियो,एस नं0 160 जीबी के डब्ल्यूएक्सईएक्सओ8जेपी0033) को प्रयोगशाला में एच–1 के प्रदर्शित चिह्नित किया गया था।

ii- 1 जीबी की एक पेन ड्राइव (किंग्स्टन–डेटा ट्रैवलर) को प्रयोगशाला में प्रदर्शिती पेन–1 के रूप में चिह्नित किया गया था।

iii- प्रयोगशाला में 4 जीबी के एक पेन ड्राइव (किंग्स्टन–डेटा ट्रैवलर) को प्रदर्शिती पेन–2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

iv- एक सेलफोन (नोकिया, 7610, आईएमईआई नं. 357070/00/562628/9) जिसमें एक सिम कार्ड (एयरसेल, नं। 89918110909141269403) और 1 जीबी का एक एमएमसी कार्ड (माइक्रोसिम डीवी–आरएस)। उन्हें प्रयोगशाला में क्रमश : एन1, एमएस–1 और सिम–1 के रूप में चिह्नित किया गया था।

v- एक सेलफोन (नोकिया, 7610, आईएमईआई नं. 354869/02/678944/6) जिसमें एक सिम कार्ड (एयरसेल, नं. 899156091256992681 6एन–1)।उन्हें प्रयोगशाला में क्रमशः एन 2 और सिम–2 के रूप में चिह्नित किया गया था।

7. संदर्भ का उद्देश्यःकंप्यूटर और सेल फोन फोरेंसिक परीक्षा।

8. परीक्षा की तिथिः23.04.2010 को पूरा किया गया।

9. परीक्षा के परिणामः

भंडारण मीडिया में दिखाया गया है कि एच1, पी0ई0एन0–1, पी0ई0एन0 2 और एमएस–1 को फोरेंसिक रूप से एक स्टेराइल स्टोरेज मीडिया पर चित्रित किया गया है और मैसर्स गाइडेंस सॉफ्टवेयर इंक, यू0एस0ए0 6 संस्करण का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है।

एच–1 पी0ई0एन0 1, पी0ई0एन0 2 और एमएस–1 से प्राप्त डेटा और चित्रों, दस्तावेजों, ऑडियो/वीडियो आदि के लिए इसके साथ संलग्न तीन डी. वी. डी. प्रदान की गई हैं। प्रदर्शनों एन1, सिम–1 और सिम–2 का विश्लेषण सेलेब्राइट का उपयोग करके किया गया है। प्रदर्शिती एन1, सिम–1 और सिम–2 से प्राप्त डेटा इसके साथ अनुलग्नक–I पृष्ठ सं. 1–26। हालांकि, तकनीकी कारणों से प्रदर्शिती एन2 का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

10. जाँच के बाद, प्रदर्श और पार्सलों के अवशेषों वाले पार्सलों को नीचे दिए गए नमूना मुहर छाप के अनुसार मुहर छाप के साथ सील कर दिया गया है।

29. अभियोजन पक्ष ने एफएसएल, चंडीगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2013 पर भरोसा नहीं किया है। आक्षेपित फैसले और आदेश में यह टिप्पणी की गई है कि एफएसएल, देहरादून और एफएसएल, चंडीगढ़ की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है।(आक्षेपित निर्णय का पैरा 41)।यह कथन गलत है। एफएसएल, देहरादून की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रदर्श ए82 हालांकि, संलग्नक प्रदर्श ए82 के रूप में चिह्नित एक अन्य दस्तावेज भी है, जो पुलिस अधीक्षक, भारत सरकार का एक पत्र है, जो पी0डब्ल्यू0 14 निर्वाकर को संबोधित है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रदर्श ए82, देहरादून की रिपोर्ट, मूल रूप से, इस न्यायालय के समक्ष है।वास्तव में, 09.07.2012 को, जब पीडब्लू 18 नवीन चंद्र पंत की जांच की गई, तो उन्होंने यह भी कहा कि मूल रिपोर्ट उनके सामने थी।

30. आक्षेपित आदेश में, पैरा 15 में, यह दर्ज किया गया है कि नमूना मुहर अभिलेख पर नहीं है।न्यायालय ने माना है कि वास्तव में, बरामदगी के बाद, वस्तुओं को सील कर दिया गया था और नमूने की मुहर ले ली गई थी।जब आरोपी को पुलिस स्टेशन में रखा गया था, तो बरामद वस्तुओं के साथ नमूना मुहर पुलिस स्टेशन में दी गई थी।08.02. 2010 को, बरामद स्केच मानचित्र और अन्य लेखों को सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय द्वारा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। न्यायालय ने ऐसे दस्तावेजों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जिरह साक्षी से इस बिन्दु पर नहीं पूछा कि नमूना मुहर रिकॉर्ड में नहीं है।जब लेखों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो न्यायालय ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114दृष्टांत (ई)

और (एफ) के तहत, यह माना जाएगा कि मुहर बरकरार थी और न्यायालय ने इसे सामान्य कार्य में अग्रेषित किया था।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की यह धारा 114, दृष्टांत (ङ) और (च) इस प्रकार हैः–

114 न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है।– न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है।

दृष्टांत

न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है –

.....

(ई) कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं

(एफ) विशेष मामले में व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम का पालन किया गया है

31. इसलिए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि 25.01.2010 को बरामदगी के समय, स्केच मानचित्र और अन्य वस्तुओं को विधिवत सील कर दिया गया था और नमूना लिया गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था, जहां आरोपी को रखा गया था। पीडब्लू 14 निर्विकार ने इन वस्तुओं को 08.02.2010 को सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय के समक्ष रखा और उन्हें न्यायालय द्वारा फोरेंसिक परीक्षा और रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। जिस पर प्रदर्श ए82 प्राप्त हुआ।

32. एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, जिस व्यक्ति ने एस1 और एस6 के रूप में चिह्नित नमूने में नीला लेखन लिखा था, उसने लाल संलग्न लेखन भी लिखा था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि एस 1 से एस 6 अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर है जो 08.02.2010 को मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा फोरेंसिक जांच के लिए अग्रेषित किया गया था। क्यू1 और क्यू14 के निशान स्केच मानचित्र प्रदर्श 33 पर हैं जो 25.01.2010 को आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए थे। इसमें कुछ उर्दू में है कुछ अग्रेंजी में है जैसे रूडकी जैसे अंग्रेजी लेखन को क्यू1 के रूप में चिह्नित किया गया है, । एआरएमओबीजीडी को क्यू3 और मशीन और बीईजी और 63 को प्रदर्श क्यू2 रूप में चिह्नित किया गया है। इसी तरह, एक अन्य मानचित्र में, घांगोरा देहरादून को क्यू8 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी तरह, एम. ई. आर. यू. टी. से संबंधित एक स्केच मानचित्र को भी क्यू11 से क्यू14 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए, विशेषज्ञ की राय न्यायालय को बताती है कि स्केच मानचित्र, जो आरोपी से बरामद किए गए थे,

उसकी अपनी लिखावट थी। अब, प्रश्न यह है कि क्या प्रदर्श 33, 35 और 36 ऐसे दस्तावेज हैं जोशासकीय गोपनीयता अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर सकते हैं?

33. पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद वर्ष 2010 में रुड़की में तैनात थे।उन्हें प्रदर्श 33, 35 और 36 दिखाया गया था। उनके अनुसार, प्रदर्श 33 रुड़की, आई. एम. ए. देहरादून और घंघोरा देहरादून और मेरठ के प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र के स्केच मानचित्र हैं। पीडब्लू 13 कर्नल राजू प्रसाद, के अनुसार प्रदर्श 35 और 36 सैन्य टेलीफोन निर्देशिका हैं, जो प्रतिबंधित हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 64 को साबित कर दिया है। इसके अनुसार, यदि जानकारी प्रदर्श 33, 35 और 36 में निहित खुलासा किसी अनधिकृत व्यक्ति को किया जाता है, यह राज्य की सुरक्षा और हितों के लिए बहुत प्रतिकूल होगा।

34. आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह भी देखा गया है कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बरामदगी के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वतंत्र गवाह प्राप्त करने की कोशिश की। केवल इसलिए कि सार्वजनिक गवाह बरामदगी के बारे में गवाही देने नहीं आए हैं, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को हितबद्ध गवाह नहीं कहा जा सकता है। यह सच है कि बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई थी, जहां भीड़ भी थी। ऐसी स्थिति में, विवेक के नियम की आवश्यकता यह है कि गवाहों की जांच सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। पी0डब्ल्यू आर बी चमोला. पीडब्लू3 दीपक रावत, पीडब्लू4 नदीम अतहर, पीडब्लू 5 प्रदीप रावत और पीडब्लू 6 विनोद कुमार जेठा के कथन एक–दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। उनकी प्रतिपरीक्षा से कुछ भी पता नहीं चलता है, जो 25.01.2010 को अभियुक्त से 1:50 बजे पर की गई बरामदगी के संबंध में उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा भी संदेह उत्पन्न करता हो। स्केच मैप्स प्रदर्श 33 और सैन्य ं की टेलीफोन निर्देशिका प्रदर्श 35 और 36 आरोपियों के पास से बरामद किए गए। स्केच मानचित्रों पर लिखावट प्रदर्श 33 अभियुक्त का है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित होता है।

35. अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि केवल एक सक्षम व्यक्ति ही बताएगा कि कथित रूप से बरामद किए गए दस्तावेज गुप्त हैं। जब अपराध हुआ तब पीडब्लू 13 राजू प्रसाद रुड़की में तैनात थे। स्केच मानचित्रों में से एक रुड़की कैंट से संबंधित है। उन्होंने इसके बारे में बताया है। उसका प्रमाण विश्वसनीय है। यह विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह साबित करता है कि वास्तव में, स्केच मानचित्रों और

सैन्य प्रतिष्ठान की टेलीफोन निर्देशिका के संदर्भ में गुप्त जानकारी अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई थी।

36. आरोपी परशासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4 और 9 और भा.दं.सं. की धारा 120–बी के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। ये धारा इस प्रकार हैं:–

''3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां।– (1) यदि कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल है –

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, निरीक्षण करना, गुजरना या उसके आसपास होना या प्रवेश करना या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाता है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के लिए उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहित, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है; यौ जिसका खुलासा भारत की संप्रभुता और अधाराता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना है।

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के सीापन या आस्थान, सुरंग, सुरंगल क्षेत्र, कारखाने, डॉ कयार्ड शिविर पोत या वायुयान के संबध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या सिकी गुप्त शासकीय संकेतकी के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पर यह दर्शाना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल उद्देश्य दिखाने की प्रवृत्ति रखने वाले किसी विशेष कार्य का दोषी था, और इसके बावजूद कि उसके खिलाफ ऐसा कोई कार्य साबित नहीं हुआ है, उसे दोषी ठहराया जा सकता है, मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हुआ है, यह प्रतीत होता है कि उसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल उद्देश्य थाय और यदि कोई रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, ध्यान दें, दस्तावेज, या किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित या उपयोग की गई जानकारी, या ऐसे स्थान पर किसी भी

चीज से संबंधित जानकारी, या कोई गुप्त आधिकारिक कोड या पास वर्ड बनाया गया है, प्राप्त किया गया है, एकत्र किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, प्रकाशित किया गया है या संप्रेषित किया गया है।

4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना– (1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही में, यह तथ्य कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता के साथ, चाहे वह भारत के भीतर हो या उसके बाहर, संवाद कर रहा है या संवाद करने का प्रयास कर रहा है, यह साबित करने के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक होगा कि उसने राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त की है या प्राप्त करने का प्रयास किया है जो प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशयित है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

(क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता के संपर्क में था यदि –

(i) भारत के भीतर या उसके बिना किसी विदेशी अभिकर्ता के पते पर गया है या किसी विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या

(ii) भारत के भीतर या उसके बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता, या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है, या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है;

(ख) ''विदेशी अभिकर्ता'' पद में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य भारत के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी शाक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शाक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य भारत के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है।

(ग) किसी ऐसे पते की बाबत चाहे वह भारत के भीतर हो या उसके बाहर, जिसके संबंध में यह प्रतीत होता है कि यह किसी विदेशी अभिकर्ता के आशय से संचार की प्राप्ति के लिए उपयोग किया गया पता होने का संदेह करने के लिए उचित आधार है, या कोई पता जिस पर कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है, या जिसे वह संचार देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारोबार

करता है यह उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली सूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाए है।

9. प्रयत्न, उद्दीपन आदि– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का प्रयत्न करता है या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसे दंड से दण्डनीय होगा और अपने विरूद्ध ऐसी रीति में कार्यवाही किये जाने का भागी होगा मानो उसने ऐसा अपराध किया हो।''

37. भा.दं.सं. की धारा 120–बी इस प्रकार हैः–

''120 बी आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड– (1) जो कोई भी मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त नहीं है, तो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह महीने से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।''

38. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि स्केच मानचित्र और टेलीफोन निर्देशिका का कब्जा ही अभियुक्त को आरोपों के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। अपने दलील के समर्थन में, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने सरकार एन. सी. टी. दिल्ली बनाम जसपाल सिंह, (2003) 10 एस. सी. सी. 586, राज्य बनाम जसपाल सिंह गिल, (1984) 3 एस. सी. सी. 555 और समा अलाना अब्दुल्ला बनाम गुजरात राज्य, (1996) 1 एस. सी. सी. 427 कानून के सिद्धांतों पर भरोसा रखा है, जैसा कि के मामले में निर्धारित किया गया है।

39. जसपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के क्षेत्र पर चर्चा की और कहा कि ''जब अभियुक्त को सामग्री (उस मामले में नक्शा) के सचेत कब्जे में पाया गया था और उसके कब्जे के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा आवश्यक रूप से यह मान लिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा इसे राज्य की सुरक्षा या हितों के प्रतिकूल उद्देश्य के लिए प्राप्त या एकत्र किया गया था।''उस मामले में, रक्षा टेलीफोन निर्देशिका के कब्जे को भी उपयोग में प्रतिबंधित एक वर्गीकृत दस्तावेज माना गया था।

40. जसपाल सिंह गिल (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3,5 और 9 में जमानत के दायरे की चर्चा किया है।

41. समा अलाना अब्दुल्ला (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा किशासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 (1) के धारा (सी) में ''गुप्त'' शब्द केवल ''आधिकारिक कोड या पासवर्ड'' के योग्य है, न कि ''कोई रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख या नोट या अन्य दस्तावेज या जानकारी'' है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

''7. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने धारा 3 (1) (सी) की गलत व्याख्या की है और गलती से यह अभिनिर्धारित किया है कि उस धारा के तहत अपराध स्थापित करने के लिए रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख या ध्यान दें या अन्य दस्तावेज या जानकारी को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। इस दलील को ठीक समझने के लिए, धारा 3 का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः

''3. जासूसी के लिए दंड– (1) यदि कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल है –

(ए) किसी निषिद्ध स्थान से संपर्क करना, निरीक्षण करना, गुजरना या उसके आसपास होना या प्रवेश करना।

(बी) कोई रेखाचित्र, योजना, मॉडल या नोट बनाता है जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्य क्ष रूप से दुश्मन के लिए उपयोगी होने के लिए की जाती है या हो सकती है या होने का इरादा है या

(सी) किसी अन्य व्यक्ति को कोई गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड, या कोई स्केच, योजना, मॉडल, लेख या नोट या अन्य दस्तावेज या जानकारी प्राप्त करता है, एकत्र करता है, रिकॉर्ड करता है या प्रकाशित करता है या संचारित करता है जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुश्मन के लिए उपयोगी होने या होने का आशयित है या जो किसी मामले से संबंधित है जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना है।''

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा में 'गुप्त' शब्द

(ग) केवल ''आधिकारिक कोड या पासवर्ड'' शब्दों को योग्य बनाता है और ''किसी स्केच, योजना, मॉडल, लेख या ध्यान दें या अन्य दस्तावेज या जानकारी'' को योग्य नहीं बनाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण यह है कि ''किसी भी गुप्त आधिकारिक कोड

या पासवर्ड'' वाक्यांश के बाद, एक अल्पविराम है और इस प्रकार जो निम्नलिखित है वह 'गुप्त' शब्द द्वारा योग्य होने का इरादा नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनील रंजन दास बनाम राज्य, 77 सी. डब्ल्यू. एन. 106 में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। इसमे माना है कि उक्त धारा में 'गुप्त' शब्द आधिकारिक कोड या पासवर्ड के योग्य है न कि किसी स्केच, योजना, मॉडल, लेख या नोट या अन्य दस्तावेज या जानकारी के लिए। यह अल्पविराम और 'या' शब्द से स्पष्ट है जो 'पासवर्ड' शब्द के बाद आता है।

8. हमारी राय में, इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय और सुनील रंजन दास 77 सीडब्ल्यूएन 106, के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। हम पाते हैं कि उक्त व्याख्या को धारा 3 की उप–धारा (2) से भी समर्थन प्राप्त होता है। उस धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन में उठाए जाने वाले अनुमान का प्रावधान करते हुए विधायिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश है ''यदि कोई स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित या उपयोग की गई जानकारी, या ऐसे स्थान पर किसी भी चीज से संबंधित, या कोई गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, एकत्र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है या संप्रेषित किया जाता है जिस तरह से उक्त उप–धारा को लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पात्रता शब्द 'गुप्त' का उपयोग केवल आधिकारिक कोड या पासवर्ड के संबंध में या उसके संबंध में किया गया है और विधायिका का इरादा यह नहीं था कि रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, नोट दे, दस्तावेज या जानकारी भी गुप्त होनी चाहिए। चूंकि हम अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए दूसरे दलील में कोई सार नहीं पाते हैं, इसलिए इसे भी खारिज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।''

42. वास्तव में, सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 प्रक्रियात्मक धारा है, जो यह उपबंध करती है कि यह साबित करने के प्रयोजन के लिए क्या प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त ने ऐसी जानकारी प्राप्त की है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, जो राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल है जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के लिए उपयोगी होने के लिए की जाती है या होने का इरादा है।

43. सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 9 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के प्रयास या दुष्प्रेरण के लिए सजा निर्धारित करती है। दंडात्मक प्रावधानशासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 में है।

44. पीडब्लू15 जन्मेजय खण्डूरी जॉंच अधिकारी हैं, जिन्होंने आरोप पत्र और शिकायत प्रदर्श ए80 शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3,4,9 के तहत भा.दं.सं. की धारा

120–बी (शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत) के तहत दाखिल किया।

45. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने सूचना प्रसारित करने के लिए देश के बाहर किसी व्यक्ति के साथ संवाद किया है। यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने इस आशय का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि आरोपी ने कभी भी जानकारी प्रसारित करने के लिए देश के बाहर किसी के साथ संवाद किया था, जो उसके पास था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने वास्तव में देश के बाहर जानकारी प्रसारित की थी? जैसा कि जसपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, चर्चा की गई है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समा अलाना अब्दुल्ला (उपर्युक्त) मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांतों का पालन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि ''जब अभियुक्त को सामग्री (उस मामले में मानचित्र) के सचेत कब्जे में पाया गया था और उसके कब्जे के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा अपेक्षित रूप से यह मान लिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा इसे राज्य की सुरक्षा या हितों के प्रतिकूल उद्देश्य से प्राप्त या एकत्र किया गया था।..''

46. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, जो अभियोजन मामले पर संदेह करता है। इस तर्क का कोई बल नहीं है। यह अभियोजन पक्ष को तय करना है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत क्या है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा भौतिक गवाहों से पूछताछ की गई है। यदि कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, तो यह अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करता है। आखिरकार, यह एक गवाह की विश्वसनीयता है, जो मायने रखती है न कि गवाहों की संख्या।

47. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त जगदीश के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता था। जगदीश को पहले ही बरी कर दिया गया है और उसके दोषमुक्ति के फैसले को अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि आरोपी भी दोषमुक्ति का हकदार है। यह तर्क भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला निश्चित और विशिष्ट है। यह सच है कि शुरू में रिकवरी ज्ञापन के अनुसार, प्रदर्श ए–1, आरोपी ने स्वीकार किया कि जगदीश ने जानकारी प्राप्त करने में उसकी मदद की लेकिन जगदीश के दोषमुक्ति का आरोपी के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इसलिए, केवल इसलिए कि जगदीश को बरी कर दिया गया है, अभियुक्त को इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

48. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि 25.01.2010 को आरोपी के कब्जे से, स्केच मैप्स प्रदर्श 33 और एक टेलीफोन निर्देशिका प्रदर्श 35 और 36 बरामद किए गए। इन वस्तुओं को सील कर दिया गया और नमूने तैयार किए गए। स्केच मानचित्रों पर अभियुक्तों की लिखावट थी। यह एफएसएल, देहरादून की रिपोर्ट प्रदर्श ए82 द्वारा साबित किया गया है। यह पीडब्लू18 नवीन चंद्र पंत द्वारा साबित किया गया है। पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदर्श 33, 35 और 36 प्रतिबंधित हैं और यदि इस जानकारी का खुलासा किसी अनधिकृत व्यक्ति को किया जाता है, तो यह राज्य की सुरक्षा और हित के लिए प्रतिकूल होगा। पीडब्लू13 कर्नल राजू प्रसाद ने इस रिपोर्ट 64 को साबित किया है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप साबित करने में सफल रहा है।

49. सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 एक प्रक्रियात्मक भाग है और यह दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयास का मामला नहीं है। इसलिए, दोषसिद्धि केवल शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत होगी और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 4 और 9 के तहत नहीं।

50. आरोपी पर भा.दं.सं. सी. की धारा 120–बी के तहत इस आधार पर दंडनीय अपराध का भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने आई. एस. आई. के साथ गुप्त जानकारी साझा की थी। लेकिन, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। यह साबित हो गया है कि अभियुक्त के पास सैन्य प्रतिष्ठान के स्केच मानचित्रों और सेना की टेलीफोन निर्देशिका के संदर्भ में गुप्त दस्तावेज हैं। समा अलाना अब्दुल्ला (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह धारा 3 के तहत माना गया है

(2) सरकारी गोपनीयता अधिनियम कि अभियुक्त के पास राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल उद्देश्य वाले गुप्त दस्तावेज थे। यह उपधारणा अभियुक्त के खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध साबित होती है लेकिन, भा. दं.सं. की धारा 120–बी के संबंध में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए, यह न्यायालय निष्कर्ष निकालता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ भा. दं.सं. की धारा 120–बी के तहत मामले को साबित करने में विफल रहा।

भारतीय दंड संहिता संहिता, 1860 के तहत अपराध

51. आरोप की दूसरी श्रेणी भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में है। आईपीसी की धारा 419 के तहत इन आरोपों पर आरोप तय किया गया है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान का खुलासा नहीं किया। फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि के लिए भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469 और 471 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अभियुक्त ने क्या जालसाजी की है? उसने धोखा कैसे दिया?

52. भा.दं.सं. सी. की धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है जो इस प्रकार हैः–

''419. प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड– जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।''

53. अभियुक्त ने किसके साथ छल किया है? 'छल' को भा.दं.सं. की धारा 415 के तहत परिभाषित किया गया है। यह इस प्रकार हैः–

''415. छल–जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।'''

54. ''कूटरचना'' को भा.दं.सं. की धारा 463 के तहत परिभाषित किया गया है और यह नीचे दिया गया हैः–

''463. कूटरचना– जो कोई, किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति,

सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट–रचना करता है।''

55. भा.दं.सं. सी. की धारा 415 के प्रावधानों को आकर्षित होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है उसने किसी को संपत्ति को प्रदत्त की हो।

56. वर्तमान मामले में, जैसा कि कहा गया है, भा.दं.सं. की धारा 419 के तहत इन आरोपों पर आरोप लगाया गया है कि पहली बार में जब 25.0.2010 को 1:50 बजे गिरफ्तार किया गया, आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं किया, अभियोजन पक्ष का मामला है कि शुरू में आरोपी ने अपने नाम असद अली का खुलासा किया, लेकिन जब उसके पास से विभिन्न सामान बरामद किए गए, तो उसे विश्वास में ले लिया गया। इसके बाद पूछताछ करने पर उसने अपनी असली पहचान का खुलासा किया। यह भा.दं.सं. की धारा 415 के तहत परिभाषित ''छल'' की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। हालांकि आरोपी ने प्रतिरूपण करने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।इस तरह का प्रतिरूपण पूर्ण नहीं था। किसी को धोखा नहीं दिया गया और किसी को भी कोई संपत्ति आदि देने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। इसलिए, निश्चित रूप से, आरोपी के खिलाफ किसी भी तरह से भा.दं.सं. की धारा 419 के तहत अपराध नहीं माना जाता है। तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 419 के तहत आरोप साबित करने में सफल नहीं है।

57. न्यायालय अब भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, यह जांचने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल है। आरोप के इस समूह में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए सबूत प्रस्तुत किया हैः–

(i) अभियुक्त को विदेशों से डब्ल्यू. यू. एम. टी. द्वारा धन प्राप्त होता था।

(ii) डब्ल्यूयूएमटी द्वारा धन प्राप्त करते समय, अभियुक्तों ने अजीत सिंह के नाम पर जाली ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किए और वे लाइसेंस अस्तित्व में नहीं थे।

58. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त ने चार ड्राइविंग लाइसेंस जाली बनाए, जो इस प्रकार है डीएल नं. 49672 अजीत सिंह के नाम पर, डीएल नं0 26497 और डीएल नं0 26724 अजीत सिंह के नाम पर और डीएल नं. 99672. अजीत सिंह के नाम पर। जिन गवाहों ने इस संबंध में साक्ष्य दिया है उनमें मुख्य रूप पी0डब्ल्यू0 7 अरुण कुमार, पी0डब्ल्यू0 8 राकेश कुमार, पी0डब्ल्यू0 11 बी0के गुप्ता हैं, पीडब्लू 12 धीरेंद्र कुमार सिंह,

पीडब्लू 14 सब इंस्पेक्टर, निर्वाकर, पीडब्लू 20 अनुज कुमार, पीडब्लू 23 जसवीर सिंह और पीडब्लू 24, संजय वर्मा।

59. सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि पीडब्लू 9 विपिन गुप्ता ने कहा है कि आरोपी ने एचडीएफसी बैंक में 20.07.2007 को एक खाता खोला था। उसने बैंक खाते से संबंधित दस्तावेजों को साबित किया, अर्थात प्रदर्श 49 से 54 तक। ये खाते असद अली के नाम पर खोले गए थे। संहिता की धारा 313 के तहत प्रश्न 15 के उत्तर में, अपनी जांच में, अभियुक्त ने इसे स्वीकार किया है।

60. पीडब्लू 10 योगेश कुमार ने कहा है कि 28.08.2008 को आरोपी ने असद अली के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक की सुभाष बाजार, मेरठ शाखा में खाता खोला था। उन्होंने इससे संबंधित रिकॉर्ड को साबित किया, जो प्रदर्श 55 से प्रदर्श 57 है। संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जाँच मे अभियुक्त ने प्रश्न 16 के अपने उत्तर में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है।

61. पीडब्लू 7 अरुण कुमार के अनुसार, 04.02.2008 को उन्हें डाक सहायक के रूप में रुड़की डाकघर में नियुक्त किया गया था। उस डाकघर में डब्ल्यूयूएमटी द्वारा से लेन–देन किया जाता था। अभियुक्त के साथ–साथ राज्य की ओर से यह स्वीकार किया जाता है कि डब्ल्यूयूएमटी द्वारा लेन–देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन का हस्तांतरण है। जिस व्यक्ति को धन प्राप्त करना है, वह धन प्राप्त करने के लिए डाकघर या डब्ल्यू. यू. एम. टी. एजेंसी से संपर्क करता है। वह अपना दस अंकों का कोड, भेजने वाले का नाम बताता है और उसके बाद, आईडी के सत्यापन के बाद, ऐसे व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं।

62. पीडब्लू 7 अरुण कुमार का कहना है कि 14.05.2009 को आरोपी ने अपना परिचय अजीत सिंह के रूप में दिया और डब्ल्यूयूएमटी द्वारा रूपया 9,810.94/– प्राप्त किया, जो यूएई से प्राप्त हुआ था और मन मोहन सिंह द्वारा भेजा गया था। इस गवाह के अनुसार, आरोपी ने अपनी पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जिस पर आरोपी की तस्वीर है। उन्होंने उस वाउचर को साबित किया, जिसके द्वारा अभियुक्त को भुगतान प्राप्त हुआ, जो प्रदर्श ए44 है। इस गवाह ने न्यायालय में ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति भी पेश की, जो आरोपी द्वारा उस समय दी गई थी जब उसने भुगतान प्राप्त किया। इस ड्राइविंग लाइसेंस को पीडब्लू 7 अरुण कुमार के बयान में चिह्नित नहीं किया गया है। इसलिए, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि पीडब्लू 7 अरुण कुमार किस ड्राइविंग

लाइसेंस का जिक्र कर रहे हैं लेकिन, तथ्य यह है कि जब जांच की गई, तो पीडब्लू 7 अरुण कुमार के पास ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति थी, जिसमें उस व्यक्ति की तस्वीर थी, जिसने 14.05.2009 को उससे पैसे प्राप्त किए थे। इस गवाह ने न्यायालय में आरोपी की पहचान की और कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस में आरोपी की तस्वीर है। अभियुक्त ने इस पर विवाद नहीं किया है। उसने जिरह में गवाह से एक भी सवाल नहीं पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस, जिसका पी. डब्ल्यू. 7 अरुण कुमार जिक्र कर रहे थे, पर आरोपी की तस्वीर नहीं है। अगर जिरह में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता तो शायद न्यायालय ड्राइविंग लाइसेंस पर चिपकाई गई तस्वीर के संबंध में अपनी टिप्पणी करने की स्थिति में होती, जिसका उल्लेख पीडब्लू 7 अरुण कुमार ने किया था। पीडब्लू 7 अरुण कुमार के बयान से विश्वास होता है कि यह वहीं आरोपी है, जिसने 14.05.2009 को उससे भुगतान प्राप्त किया था। जैसा कि कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण, पीडब्लू 7 अरुण कुमार के बयान में प्रकट नहीं किया गया है।

63. पीडब्लू8 राकेश कुमार संबंधित समय में डब्ल्यूयूएमटी के एजेंट थे। उन्होंने डब्ल्यूयूएमटी द्वारा से धन प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताया है। उसके अनुसार, अलग–अलग तारीखों पर आरोपी को उससे पैसे मिलते थे जिनका विवरण इस प्रकार है:–

(i) 06.01.2009 को, रूपया 1,3757.11/– संयुक्त अरब अमीरात के महेंद्र सिंह से।

(ii) 05.09.2009 को, यूएई के बूटा सिंह से रूपया 8000/–।

(iii) 02.08.2009 को, रु0 19810.13 संयुक्त अरब अमीरात के मान मोहन सिंह से।

(iv) 14.07.2009 को, रु0 6000/– संयुक्त अरब अमीरात के गुरपाल सिंह से।

64. इस गवाह ने इससे संबंधित दस्तावेजों को साबित किया है, जो प्रदर्श ए45 से ए48 तक है। पीडब्लू8 राकेश कुमार के अनुसार, आरोपी ने अपना परिचय अजीत सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह के रूप में दिया था। उसने न्यायालय में आरोपी की पहचान कर ली है। प्रदर्श ए45 से ए48 रसीदें हैं। पीडब्लू8 राकेश कुमार के अनुसार, आरोपी ने पहचान के रूप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जिसमें उसकी तस्वीर थी। लेकिन, इस गवाह ने न्यायालय के समक्ष कोई ड्राइविंग लाइसेंस दाखिल नहीं किया है। उसने यह नहीं कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस उसके सामने है या वह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आया था। जहाँ तक न्यायालय में अभियुक्त की पहचान का संबंध है, इस गवाह का बयान केवल स्मृति पर आधारित है। निश्चित रूप से उस हद तक, इस गवाह के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करना अधिकता होगी। उसने वर्ष 2011 में वर्ष 2009 में किए गए कुछ लेन–देन के बारे में गवाही दी है और लेन–देन के किसी भी रिकॉर्ड में बिना

किसी तस्वीर के आरोपी की पहचान की है। यह अकेले इसी कारण से पूरी तरह से विश्वसनीय कथन नहीं है।

65. पीडब्ल्यू 11 बी0के0 गुप्ता जो 24.11.2009 को मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पोस्टमास्टर के रूप में तैनात थे उनके अनुसार, 15.01.2010 को, डब्ल्यू यू एमटी द्वारा अभियुक्तों को रूपया 30,000/– प्राप्त हुए, जो संयुक्त अरब अमीरात के शाहिद आलम और अब्दुल मुनाफ द्वारा भेजे गए थे। यह भुगतान पीडब्लू20 अनुज कुमार ने किया था। इस गवाह ने वाउचर प्रदर्श ए59 एवं ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श ए60को साबित कर दिया है। पीडब्लू20 अनुज कुमार ने भी इसके बारे में बताया है। उन्होंने प्रक्रिया के बारे में बताया है कि पैसे का भुगतान कैसे किया गया था। उनके अनुसार, आरोपी को भुगतान करने से पहले, आरोपी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जो असद अली के नाम पर था, जिस पर डीएल नं 35440 तथा उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर आरोपी की तस्वीर थी और उस पर असद अली, पुत्र बरकत अली, 22 शाहपीर गेट मेरठ का पता था। उन्होंने डीएल नंबर 35440 साबित किया और पैन कार्ड प्रदर्श 108 और 109, भी साबित किया है वास्तव में, प्रदर्श ए108 प्रदर्श ए109 की एक और प्रति है । इस साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करते हुए कहा कि यह वही अभियुक्त है, जिसने असद अली के रूप में उनसे पैसे लिए थे।

66. पीडब्लू14 निर्विकार ने भी इस सम्व्यवहार के बारे में बताया है। संहिता की धारा 313 के तहत अपनी बयान में, आरोपी ने हालांकि कहा है कि पी0डब्ल्यू 11बी0के गुप्ता झूठे साक्ष्य दे रहे हैं लेकिन प्रश्न सं0 24 के उत्तर में उसने स्वीकार किया है कि पीडब्लू20 अनुज कुमार ने डीएल प्रदर्श ए108 और पैन कार्ड प्रदर्श ए109 इसके बारे में सही कहा है जैसा कि डीएल प्रदर्श ए108 व प्रदर्श ए60 के बारे में पी0डब्ल्यू 60 बी0के0गुप्ता ने भी कहा है। ये डी. एल. नं. 35440 प्रतियां है जो असद अली पुत्र बरकत अली के नाम पर, 22 शाहपीर गेट, मेरठ और जन्म तिथि 16.08.1982 है। प्रश्न 30 के उत्तर में अभियुक्त ने स्वीकार किया था कि उसने भारतीय स्टेट बैंक खाते में मोहम्मद यामीन, से पैसे प्राप्त हुए थे। जो उनके परिचित थे।

67. पी0डब्ल्यू 11 बी0के गुप्ता और पीडब्लू20 अनुज कुमार के साक्ष्य विश्वसनीय हैं। उन्होंने न्यायालय में आरोपियों की पहचान कर ली है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर डीएल नं0 35440, आरोपी ने अपना परिचय असद अली के रूप में दिया और पैसे प्राप्त किए। कोड की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा में प्रश्न सं0 18 के उत्तर आरोपी ने में स्वीकार किया है कि उसके पास डीएल नं ए35440 था। इसलिए,

पी0डब्ल्यू 11 बी0के गुप्ता और पीडब्लू 20 अनुज कुमार, के बयान के आधार पर यह उचित संदेह से परे साबित होता है कि 15.01.2010 को आरोपी को रु 30, 000/—डब्ल्यूयूएमटी द्वारा प्राप्त हुए जिसमें से रू0 10,000/— शाहिद आलम द्वारा भेजे गए थे और रू020,000/— अब्दुल मुनाफ द्वारा दोनों यूएई से भेजे गए थे, और आरोपी ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति दी थी। प्रदर्श ए60 और ए108, जो असद अली के नाम पर थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जाली थे।

68. अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी ने ड्राइविंग लाइसेंस नं. 49672 डब्ल्यूयूएमटी द्वारा धन प्राप्त करने के लिए फर्जी बनाये थे। पीडब्लू24 संजय वर्मा ने इसके बारे में कथन किया है उनके अनुसार, वह डब्ल्यूयूएमटी के एजेंट थे और वर्ष 2007 में उन्हें रुड़की में तैनात किया गया था। उनके अनुसार, 02.04.2009 को अजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपनी आईडी डीएल नं0 49672 के साथ उनसे संपर्क किया और प्राप्त किया रू0.12,000/— जो संयुक्त अरब अमीरात के गुरपाल सिंह द्वारा भेजा गया था। इस गवाह के अनुसार, अजीत सिंह द्वारा निम्नलिखित सम्व्यवहार भी किए गए थे:—

(i) 30.05.2009 को, रू015,000/— प्राप्त हुआ जो संयुक्त अरब अमीरात के जयदेव सिंह द्वारा डब्ल्यूयूएमटी द्वारा भेजा गया था।

(ii) 31.10.2009 को, रू0 20,000/— प्राप्त हुआ, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के मान मोहन सिंह द्वारा डब्ल्यूयूएमटी द्वारा भेजा गया था।

(iii) 24.11.2009 को, रु 2000/— संयुक्त अरब अमीरात के कुलदीप सिंह द्वारा डब्ल्यूयूएमटी द्वारा भेजा गया था।

69. पीडब्लू 24 संजय वर्मा ने न्यायालय में आरोपी की पहचान की और बताया कि उसने अजीत सिंह के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस नं. 49672 से पैसे प्राप्त किये थे उनके अनुसार, पीडब्लू 14 निर्वाकर ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस सहित दस्तावेज प्राप्त किए थे। पीडब्लू14 निर्वाकर ने भी इसके बारे में बताया है। पीडब्लू24 संजय वर्मा ने इन सभी दस्तावेजों को साबित किया है, जो प्रदर्श ए119 से ए123 तक है।

70. प्रदर्श ए123, ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति है, जिसे पीडब्लू24 संजय वर्मा के अनुसार, आरोपी ने पैसे लेने के लिए उसके सामने पेश किया था। इस ड्राइविंग लाइसेंस का मूल न्यायालय के समक्ष नहीं है। न्यायालय बाद के चरण में मूल प्रस्तुत न करने से संबंधित मुद्दे पर अपनी राय देगा। प्रदर्श ए123 अजीत सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह के नाम

पर ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका नंबर ए49672 है। पीडब्लू24 संजय वर्मा ने कहा है कि इस प्रदर्श को न्यायालय में मौजूदा अभियुक्त ने प्रदर्शित किया है अभियुक्त ने इस गवाह से यह चुनौती करने के लिए जिरह नहीं किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर तस्वीर आरोपी की नहीं है। क्या इस पर सवाल उठाया गया है, शायद न्यायालय के पास ड्राइविंग लाइसेंस पर तस्वीर के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने का अवसर रहा होगा। इस गवाह ने तस्वीर की मदद से आरोपी की पहचान की है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में गवाह उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका, जिसने उससे पैसे प्राप्त किए थे। यह लेनदेन पीडब्लू 24 संजय वर्मा ने किया था। उसके पास दस्तावेज थे। तस्वीरों के आधार पर उन्होंने आरोपी की पहचान की। यह बिना किसी संदेह के साबित होता है कि उन तारीखों पर, जैसा कि पीडब्लू 24 संजय वर्मा ने कहा है, आरोपी ने ड्राइविंग लाइसेंस संख्या 49672की एक प्रति पेश करके अपना परिचय अजीत सिंह के रूप में दिया है जिसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात से डब्ल्यूयूएमटी द्वारा भेजा गया धन प्राप्त था।

71. एक अन्य लेन–देन पीडब्लू23 जसवीर सिंह द्वारा किया गया था, जो डब्ल्यूयूएमटी के साथ भी काम कर रहे थे। उसके अनुसार, 23.09.2008 को, आरोपी ने अपना परिचय अजीत सिंह के रूप में दिया और डीएल नं0 26497 और 26724 के रूप में अलग पहचान पेश करते हुए निम्नलिखित धन प्राप्त किया जोडब्ल्यूयूएमटी द्वारा प्राप्त हुआ थाः–

(i) 23.09.2008 को, रु 8, 981/–, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के गुरपाल सिंह ने भेजा था।

(ii) 18.11.2008 को,रु 5000/– प्राप्त हुआ, जिसे यूएई के जसपाल सिंह द्वारा भेजा गया था

(iii) 18.11.2008 को रु 9, 373/–, जिसे यूएई के गुरपाल सिंह ने भेजा था।

72. इस गवाह ने न्यायालय में आरोपी की पहचान करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस पर तस्वीर आरोपी की है, जो स्पष्ट रूप से मेल खाती है। इस गवाह ने दस्तावेजों को साबित किया, जिन पर प्रदर्श ए112 से 118 है प्रदर्श ए113 डीएल नंबर 26497 की प्रति है। प्रदर्श ए117 डीएल नं0 नं. 26724 की प्रतिलिपि है। दोनों अजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह के नाम पर और 16.10.1984 जन्म तिथि पर हैं। प्रदर्श ए113 और ए117 में है, यह 16.08.1982 जन्म तिथि जो अन्यथा अभियुक्त दावा करता है। पीडब्लू14 निर्वाकर ने भी इसके बारे में बताया है। पीडब्लू23 जसवीर सिंह का बयान दस्तावेजों पर आधारित है। उस व्यक्ति द्वारा दी गई पहचान के आधार पर, जिसने उससे पैसे प्राप्त

किए, उसने न्यायालय में आरोपी की पहचान की। यह बिना किसी संदेह के साबित करता है कि यह आरोपी ही है, जिसने पीडब्लू 23 जसवीर सिंह के सामने अपना परिचय अजीत सिंह के रूप में दिया और डब्ल्यूयूएमटी द्वारा धन प्राप्त किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आरोपी यह दावा नहीं करता है कि वह अजीत सिंह है।वह दावा करता है कि वह असद अली है। उसे अजीत सिंह के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला?

73. पीडब्लू 12 धीरेंद्र कुमार सिंह परिवहन विभाग में अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि डीएल नं. ए–26724 और डीएल नं. 26497 अजीत सिंह के नाम पर जारी नहीं किए गए थे। उनके अनुसार, ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस अलग–अलग व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए थे। ये दो ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जिनके आधार पर, आरोपी ने डब्ल्यूयूएमटी द्वारा पीडब्लू 23 जसवीर सिंह से अजीत सिंह के नाम पर विभिन्न तिथियों पर पैसे प्राप्त किए, जैसा कि पीडब्लू 23 जसवीर सिंह ने बताया है।

74. पीडब्लू12 धीरेंद्र कुमार सिंह ने यह भी बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस नं. 35440 वास्तविक है। यह ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसका उपयोग आरोपी ने पी0डब्ल्यू 20 अनुज कुमार से पैसे लेते समय पहचान प्रमाण के रूप में किया था, जैसा कि पी0डब्ल्यू 20 अनुज कुमार और पी0डब्ल्यू 11 बी0के गुप्ता ने कहा है।

75. पीडब्लू12 धीरेंद्र कुमार सिंह ने भी कहा है कि डीएल नं. 99672 उनके विभाग से जारी नहीं किया गया था। यह जाली है। पीडब्लू12 धीरेंद्र कुमार सिंह ने डीएल नं. 99672 वर्ष 2007 दिनांक 22.06.2007 अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात विवरण में दिया है। वास्तव में, यह प्रदर्श ए123 का विवरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि पी0डब्ल्यू 12 के बयानों में दर्ज डीएल नं. 99672. त्रुटिवश डीएल नंबर 49672 के बजाय दर्ज हो गया है। वास्तव में, पीडब्लू24 संजय वर्मा ने बताया है कि अभियुक्त के द्वारा पैसे प्राप्त करने के लिए अजीत सिंह के पहचान प्रमाण के रूप में डीएल नं. 49672 उसे प्रस्तुत किया गया था। इस डीएल की एक प्रति प्रदर्श ए123, पीडब्लू 12 धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, डीएल की श्रृंखला को ए416781 पर रोक दिया गया था। इसके बाद डीएल संख्याएँ 10 अंकों में थीं। पीडब्लू 12 धीरेंद्र कुमार सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट प्रदर्श ए. 63. को साबित किया।

76. गवाहों के बयानों से यह स्थापित होता है कि आरोपी ने पैसे प्राप्त करने के लिए इन चार ड्राइविंग लाइसेंसों का इस्तेमाल किया था, जिसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा डब्ल्यूयूएमटी द्वारा यूएई से स्थानांतरित किया गया था। पीडब्लू12 धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि, वास्तव में, डीएल नं ए26724 (प्रदर्श ए117) आशादीप के नाम से जारी किया

गया था। इसी तरह, यह गवाह कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस नं ए26497 (पूर्व. ए113) अरविंद कुमार के नाम पर जारी किया गया था, न कि आरोपी के नाम पर। ड्राइविंग लाइसेंस नं. ाए4672 (प्रदर्श ए123) उनके विभाग से बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से जाली है। पीडब्लू 12 धीरेंद्र कुमार सिंह का बयान रिकॉर्ड पर आधारित है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा भी नहीं किया गया है कि डी. एल. नं. 35440 एक जाली दस्तावेज था। पीडब्लू 12 धीरेंद्र सिंह के अनुसार, डीएल नं. 35440 उनके विभाग द्वारा जारी किया गया था।

77. पीडब्लू12 धीरेन्द्र कुमार सिंह, पीडब्लू23 जसवीर सिंह, पीडब्लू24 संजय वर्मा और पीडब्लू14 उपनिरीक्षक निर्वाकर सिंह के बयानों से यह बिना किसी संदेह के साबित हो जाता है कि आरोपी ने डी. एल. नं. ए26724, ए26497 और ए49672 अजीत सिंह के नाम पर डब्ल्यूयूएमटी द्वारा धन प्राप्त करने के लिए ये जाली दस्तावेज थे।

78. एक तर्क दिया गया है कि ये मूल दस्तावेज नहीं हैं। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

79. पीडब्लू23 जसवीर सिंह और पीडब्लू24 संजय वर्मा ने कहा है कि इन ड्राइविंग लाइसेंसों के आधार पर, पैसे प्राप्त करने वाला यही आरोपी है, जिसने उनसे पैसे प्राप्त किए थे। इसलिए आरोपी से सम्बंधित पहचान का सवाल ही नहीं है। मूल को आरोपी ने पीडब्लू 23, जसवीर सिंह और पीडब्लू 24, संजय वर्मा को नहीं दिया था। अभियोजन पक्ष मूल प्राप्त नहीं कर सकता था। उनके पास पहचान प्रमाण के रूप में सबसे अच्छा सबूत था अभियुक्त द्वारा दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है। इसलिए, निश्चित रूप से, यह उचित संदेह से परे साबित होता है कि अभियुक्त ने डीएल संख्या ए26497, ए26724 और ए49672 जिनकी प्रतियां रिकॉर्ड पर क्रमशः प्रदर्श ए113, प्रदर्श ए117 और प्रदर्श ए123, जाली बनाई थी।

80. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जिन वाउचरों से भुगतान प्राप्त हुआ था, उन पर हस्ताक्षर की एफएसएल द्वारा जांच की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में, यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त को पैसा मिला था। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की पहचान के लिए परीक्षण पहचान परेड आयोजित कर सकता था।

81. भले ही, वाउचर पर हस्ताक्षर जिनके द्वारा अभियुक्त को धन प्राप्त हुआ था, की फोरेंसिक जांच नहीं की गई थी, यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं बनाता है क्योंकि आखिरकार लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी एक राय है। इससे न्यायालय को मामले पर न्याय निर्णय लेने में मदद मिल सकती थी। वर्तमान मामले में, गवाहों ने न्यायालय में आरोपी की पहचान उसकी तस्वीर के आधार पर और गवाहों की स्मृति के आधार पर की है, जो उसके द्वारा पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस पर चिपकाई गई थी, जब उसने पैसे प्राप्त किए थे इसलिए, केवल इसलिए कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा अभियुक्तों के हस्ताक्षरों की पहचान नहीं की गई थी, इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध नहीं बनाता है। जहां तक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का संबध है, यह अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को भी प्रभावित नहीं करता है। जाँच के दौरान अभियुक्त की जाँच पहचान केवल जाँच का मार्गदर्शन करती है।

82. इस न्यायालय ने माना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने तीन ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श ए113, प्रदर्श ए117 और प्रदर्श ए123 जाली बनाए थे। उसने कूटरचना की है। यह कूटरचना प्रतिरूपण के लिए की गई थी। कूटरचना किसी मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत के संबंध में नहीं है। यह धोखा देने या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है। अभियुक्तों ने पैसे प्राप्त करने के लिए अजीत सिंह के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए इन ड्राइविंग लाइसेंस को जाली बनाया।उसने पैसे भेजने वाले को धोखा नहीं दिया। उन्होंने जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया।

83. इसलिए, आगे की चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420,467,468 और 469 के तहत आरोप साबित करने में सफल नहीं है, लेकिन अभियोजन धारा 465 और 471 भा.दं.सं. के तहत आरोप अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल है। हालांकि, आरोपी पर भा.दं.सं. की धारा 465 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन उसे इसके तहत दंडित किया जा सकता है क्योंकि उस पर भा.दं.सं. की धारा 467,468,469 के तहत कूटरचना से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया है। भा.दं.सं. की धारा 465 के तहत अपराध एक अपराध है जो भा.दं.सं. की धारा 467,468,469 के तहत अपराध से कम है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यदि अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 465 के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है तो न्याय का हित पूरा होगा।

विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और लोक अभिवेदनत्व अधिनियम के तहत अपराध

84. आरोपी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

85. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि आरोपी ने मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध कराने के लिए गलत शपथ पत्र दायर किया था, लेकिन बहस के दौरान, यह तर्क नहीं दिया गया है और न ही यह दिखाया गया है कि आरोपी द्वारा कौन सा शपथ पत्र दायर किया गया था इसलिए, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।

86. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पाकिस्तान का निवासी है। वह बिना किसी वैध दस्तावेज के और गलत जानकारी देकर पासपोर्ट प्राप्त करके भारत में प्रवेश किया। उनके पास भारत में रहने का कोई दस्तावेज नहीं है।आवेदनों में, उसने अपना पता गांव भट्टावाला, जिला यमुना नगर दिया, लेकिन आरोपी उस गांव का निवासी नहीं है।यह तर्क दिया जाता है कि यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि वह विदेशी नहीं है।

87. दूसरी ओर, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त पाकिस्तान का नागरिक है। इसका कोई सबूत नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क उठाएः–

(i) अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने खुलासा किया कि वह मोहल्ला हजरत बाबा, हाजी शाह सलीम, गाँव हजजरवाल, पुलिस स्टेशन ठोकर नियाज बेग, डाकघर मंसूरा, जिला लाहौर पाकिस्तान का निवासी है।यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष ने पाकिस्तान से इन विवरणों का सत्यापन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।पुलिस के सामने अभिकथित स्वीकारोक्ति के अलावा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, जो स्वीकार्य नहीं है।

(ii) अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ढाका और नेपाल के रास्ते द्वारा भारत में प्रवेश किया और उसके बाद लखनऊ पहुंचा, लेकिन, इसे साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई यात्रा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(iii) अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को आईएसआई के कर्नल राठौर द्वारा भेजा गया था, लेकिन इस विषय पर कोई सबूत नहीं है।

(iv) न्यायालय में कोई जाली पासपोर्ट या वीजा नहीं है।

(v) अभियुक्त ने विदेशी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया।

(vi) पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अभियुक्त ने कोई गलत जानकारी नहीं दी।

(vii) आरोपी ने अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जब वह मेरठ में रह रहा था। उन्होंने शपथ पत्र में मेरठ के साथ–साथ अपने जन्म स्थान, भट्टावाला, यमुना नगर, हरियाणा में अपने पते का स्पष्ट रूप से खुलासा किया।

(viii) उसने कुछ भी नहीं छिपाया।

(ix) जब मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचा, तो स्थानीय खुफिया इकाई ने बताया कि आरोपी भट्टावाला का निवासी है।

(x) आरोपी ने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड के संदर्भ में अपनी पहचान दर्ज कराई है। अभियुक्त का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसे कैसे रद्द किया गया और इसे क्यों रद्द किया गया, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था।

88. अभियुक्त के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष विदेशी अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए) के तहत आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।

89. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक विदेशी नागरिक है। वह एक विदेशी है। उसने झूठी जानकारी देकर पासपोर्ट प्राप्त किया। जबकि, आरोपी के अनुसार, उसका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है। वह एक भारतीय नागरिक हैं।

90. आरोपी ने जाँच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि सहित कुछ दस्तावेज दाखिल किए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आरोपी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है? इस तरह के दस्तावेजों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा सकता था बशर्ते वे उस स्थान के हों, जहां से व्यक्ति संबंधित है। यह स्वीकृत है कि वर्ष 2008 में आरोपी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था और फिर 13.08.2008 को उसने पासपोर्ट अधिकारी को इस आशय का आवेदन दिया कि पहले वह गांव भट्टावाला, जिला यमुना नगर का निवासी था और अब पिछले 15 वर्षों से वह अपने परिवार के साथ 22 शाहपीर गेट, मेरठ में रह रहा था, इसलिए उसका पासपोर्ट मेरठ में उसके पते पर भेजा जाए। (रिकॉर्ड पर प्रदर्श ए105)।

91. पासपोर्ट के सत्यापन दस्तावेजों पर स्थानीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। यह प्रदर्श ए90 है जिसे पीडब्लू19 पासपोर्ट अधिकारी, प्रेम सिंह द्वारा सिद्ध किया गया लेकिन, एलआईयू की दिनांक 12.05.2008 की यह रिपोर्ट यह साबित नहीं करती है कि आरोपी हरियाणा के गांव भट्टावाला का निवासी है या वह विदेशी नहीं है। वास्तव में, जब पासपोर्ट कार्यालय मेरठ में पुलिस को सत्यापन के लिए दस्तावेज भेजे गये तो एलआईयू ने बताया कि चूंकि आरोपी एक हरियाणा के यमुना नगर जिले के गांव भट्टावाला के निवासी है। अतः उनके निवास स्थान से जांच की जा सकती है।एल. आई. यू. ने यह नहीं बताया कि वास्तव में आरोपी यमुना नगर जिले के गांव भट्टावाला का निवासी है। एल. आई. यू. ने यह रिपोर्ट पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अभियुक्त के आवेदन के आधार पर दी थी, जो कि प्रदर्श ए93 है इसमें आरोपी ने हरियाणा के यमुना नगर जिले के गांव भट्टावाला के रूप में अपने जन्म स्थान का खुलासा किया था।इस आवेदन में आरोपी ने पुलिस थाना भट्टावाला का उल्लेख नहीं किया था और केवल ग्राम भट्टावाला लिखा गया है। पासपोर्ट के लिए इस आवेदन के समर्थन में, आरोपी ने एक शपथ पत्र भी दायर किया, जो प्रदर्श ए97 है। इसमें आरोपी ने लिखा है कि उसका जन्म 16.08.1982 को गांव भट्टावाला, जिला यमुना नगर, हरियाणा, भारत में हुआ था। अभियुक्त के विवरण की पुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट 12.05.2008 में रिपोर्ट के सत्यापन बाबत एलआईयू ने सिफारिश की कि इसका सत्यापन हरियाणा से किया जाए।

92. पासपोर्ट अधिकारी पीडब्लू19 प्रेम सिंह ने कहा है कि आवेदन पत्र के साथ आरोपी ने अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची, आयकर रिटर्न दिया था। पीडब्लू19 प्रेम सिंह के अनुसार, पुलिस द्वारा 12.05.2008 की रिपोर्ट द्वारा सत्यापन वापस करने के बाद यह बताया गया कि आरोपी गांव भट्टावाला, यमुना नगर, हरियाणा का निवासी है, इसलिए वहां से ही जांच की जाए। अभियुक्त ने एक आवेदन दिनांक 13.08. 2008 (प्रदर्श ए105) इस प्रभाव के लिए कि चूंकि वह अंतिम रूप से 15 साल, मेरठ का ही निवासी है अतः उसे पासपोर्ट वहीं पर जारी किया जाए। इस आवेदन पर, पीडब्लू 19 प्रेम सिंह के अनुसार, मामले को फिर से सत्यापन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को भेजा गया, जिन्होंने बताया कि आरोपी मूल रूप से गांव भट्टावाला, पुलिस स्टेशन भट्टावाला का निवासी है और पिछले 6–7 वर्षों से मेरठ में रह रहा है।इसलिए उसे पासपोर्ट जारी किया जाए।एल. आई. यू. मेरठ की यह रिपोर्ट अभिलेख पर प्रदर्श ए–88 है इसमें कहा गया है कि आरोपी मूल रूप से गांव भट्टावाला, जिला यमुना नगर, हरियाणा का निवासी है और पिछले 6–7 वर्षों से शाहपीर गेट मेरठ में रह रहा है। यह एलआईयू रिपोर्ट प्रदर्श ए88 यह भी साबित नहीं करता है कि आरोपी हरियाणा

का निवासी है। एल. आई. यू. ने पहले एक रिपोर्ट दी थी कि जांच हरियाणा से कराई जाए। यदि एल. आई. यू. की रिपोर्ट प्रदर्श ए90 दिनांक 12.05.2008 को प्रदर्श ए88 साथ पढ़ा जाता है (12.09.2008 को पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त), तो यह स्पष्ट है कि बाद में, मेरठ में एलआईयू ने बस सत्यापित किया कि आरोपी पिछले 6–7 वर्षों से मेरठ में रह रहा था। एल. आई. यू. ने हरियाणा के यमुना नगर से इसका सत्यापन नहीं किया। अभियुक्त को पासपोर्ट जारी कर दिया गया था।

93. 13.08.2008 को पासपोर्ट अधिकारी को दिए गए अपने आवेदन में आरोपी ने कहा था कि वह पिछले 15 वर्षों से मेरठ में रह रहा था। जबकि, एल. आई. यू. ने अपनी बाद की रिपोर्ट प्रदर्श ए–88 में यह कहा है कि आरोपी पिछले 6–7 वर्षों से मेरठ में रह रहा था। जब उसने पासपोर्ट कार्यालय में दिनांक 13.08.2008 को आवेदन दायर किया था (प्रदर्श ए105), अभियुक्त किस अवधि के लिए मेरठ में रह रहा था? क्या वह 15 साल पहले मेरठ में रह रहा था, जिसका अर्थ है कि वह वर्ष 1993 से मेरठ में रह रहा था या उससे 6–7 साल पहले मेरठ में रह रहा था, तो इसका मतलब है कि वह वर्ष 2000–2001 से मेरठ में रह रहा था।

94. विदेशी अधिनियम के मामलों में सबूत का भार सबसे महत्वपूर्ण है। विदेशी अधिनियम की धारा 9 में इसका प्रावधान है। यह इस प्रकार हैः–

''9. सबूत का भार– यदि किसी मामले में, जो धारा 8 के अधीन नहीं आता है, इस अधिनियम या उसके अधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए निर्देश के संदर्भ में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या कोई व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का विदेशी है या नहीं है या विवरण यह साबित करने का दायित्व कि ऐसा व्यक्ति विदेशी नहीं है या, यथास्थिति, ऐसे विशेष वर्ग या विवरण का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते के बावजूद ऐसे व्यक्ति पर होता है।

95. सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ और एक अन्य, (2005) 5 एस. सी. सी. 665 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में सबूत के भार के महत्व के बारे में व्याख्या और अवलोकन किया। पैरा 26 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त कियाः–

''26. किसी विशेष देश का नागरिक होने का दावा करने वाले संबंधित व्यक्ति पर सबूत का भार डालने का अच्छा और ठोस कारण है। किसी की नागरिकता स्थापित करने के लिए, आम तौर पर उसके द्वारा सामान्य रूप से इस विषय का साक्ष्य दिया जा सकता है– (i) अपनी जन्मतिथि (ii) जन्म स्थान (iii) अपने माता–पिता का नाम (iv) उनके

जन्म स्थान और नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता हो सकती है। कभी–कभी उसके दादा–दादी का जन्म स्थान भी प्रासंगिक हो सकता है जैसे कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6–ए (1) (डी) के तहत। ये सभी तथ्य अनिवार्य रूप से संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी में होंगे न कि राज्य के अधिकारियों की। इन बिंदुओं पर सबूत देने के बाद, राज्य के अधिकारी तथ्यों को सत्यापित कर सकते हैं और फिर यदि आवश्यक हो तो खण्डन में सबूत पेश कर सकते हैं। यदि राज्य अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता के दावे पर विवाद करते हैं और दावा करते हैं कि वह एक विदेशी है, तो उनके लिए उपरोक्त बिंदुओं पर पहले साक्ष्य देना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव होगा। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की अंतर्निहित नीति के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।''

96. इब्राहिम बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 618 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत यह साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो अधिनियम के तहत आरोपी है कि वह विदेशी नहीं है।

97. यह आरोपी को ही दर्शाना है कि वह विदेशी नहीं है। आरोपी ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे कुछ दस्तावेजों पर भरोसा किया है। पीडब्लू22 सुनील कुमार रस्तोगी के अनुसार अभियुक्त के पक्ष में जारी राशन कार्ड पहले ही रद्द कर दिया गया है।इसकी प्रासंगिकता कम है क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि राशन कार्ड क्यों और कैसे और किन परिस्थितियों में रद्द किया गया था।

98. जिन दस्तावेजों पर आरोपी ने विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आधार बनाया है, वे यह धारित नहीं करते हैं कि वे भट्टावाला, यमुना नगर, हरियाणा के पते पर जारी किए गए थे। अभियुक्त द्वारा मेरठ के दिए गए पते पर सभी दस्तावेज जारी किए गए थे। वह स्वयं कहता है कि वह 2008 से पहले 15 साल से मेरठ में रह रहा था।(प्रदर्श ए105)।उनका जन्म वर्ष 2008 से 15 साल पहले वर्ष 1982 में हुआ था, जिसका अर्थ है कि वे वर्ष 1993 में मेरठ आए थे।जब दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी 11 साल का था। क्या वह वहाँ अपने माता–पिता के साथ था?

99. वर्तमान मामले में, उपस्थित होने वाले सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुनिंदर विश्वास बनाम भारत संघ और अन्य (2019 का डब्ल्यूपीसी 7426) के

मामले में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र नागरिकता के लिए निर्णायक नहीं है और यह निर्णय लेते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं।

100. 2019 की डब्ल्यूपीसी 7451, जुबेदा बेगम /जुबेदा खातून बनाम भारत संघ और अन्य में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदाता सूची, बिक्री विलेख, चुनावी फोटो पहचान पत्र नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

101. अभियुक्त यह दावा नहीं करता है कि उसका कोई रिश्तेदार (रक्त, विवाह या अन्यथा) नहीं है

102. पीडब्लू 21 दर्शन प्रसाद काला पुलिस के सब–इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने 21.02.2010 को आरोपी का विवरण प्राप्त करने के लिए गांव भट्टावाला, पुलिस स्टेशन भट्टावाला, जिला यमुना नगर, हरियाणा का दौरा किया लेकिन, उन्हें आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह शर्मा जी के घर में किरायेदार था। पीडब्लू21, दर्शन प्रसाद काला को शर्मा जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। पीडब्लू21 दर्शन प्रसाद काला से आरोपी ने अपने दम पर बड़े पैमाने पर जिरह की है।उन्होंने सवाल पूछा कि पीडब्लू21 दर्शन प्रसाद कला यमुना नगर कैसे पहुंचे।लेकिन, उन्होंने इस गवाह को उस घर के बारे में भी नहीं बताया, जहाँ उनका परिवार गांव भट्टावाला में रह रहा था।उन्होंने मकान मालिक का नाम या अपने माता–पिता के घर का स्थान नहीं बताया।उन्होंने पीडब्लू 21 दर्शन प्रसाद काला के बयान को खण्डन करने के लिए अपने पड़ोसियों के नाम नहीं सुझाए। एक सामान्य नियम के रूप में, एक अभियुक्त चुप रह सकता है और एक आपराधिक मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। लेकिन, उस मामले में, जिसमें विदेशी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी शामिल हैं, विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत यह साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा आरोपी पर रही है कि वह विदेशी नहीं है।कहने की जरूरत नहीं है कि ''विदेशी'' को विदेशी अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है। अभियुक्त या तो अलग–अलग साक्ष्य पेश करके या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को खण्डन करके भार का निर्वहन कर सकता था।

103. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी भारत का नागरिक नहीं है, वह एक विदेशी है उसने गलत सूचना पर पासपोर्ट प्राप्त किया। उसने विदेशों से धन प्राप्त करने

के लिए जाली डी. एल. बनाया। आरोपी के पास अपने मूल स्थान का एक भी दस्तावेज नहीं था, जिसके बारे में उसका कथन है कि वह गांव भट्टवाला में है।

104. यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य के लिए सकारात्मक सबूत पेश नहीं किए कि आरोपी पाकिस्तान के एक स्थान का है, जैसा कि उसने गिरफ्तार होने पर स्वीकार किया था। लेकिन, अभियोजन पक्ष से उस व्यक्ति के निवास का सकारात्मक सबूत प्राप्त करने की बहुत उम्मीद की जा सकती है, जो अभियोजन पक्ष का दावा है कि उस देश का जासूस है लेकिन, जैसा कि कहा गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है कि वह विदेशी नहीं है। उसे कोई नकारात्मक सबूत पेश करके साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। सबूत के भार का मूल नियम यह है कि एक व्यक्ति को उन तथ्यों को साबित करना चाहिए, जिस पर वह दावा करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 प्रमाण के भार के सामान्य नियम को निर्धारित करती है।यह इस प्रकार हैः–

''101. सबूत का भार– जो कोई भी न्यायालय से यह चाहता है कि कोई भी न्यायालय उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो वह दावा करता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर है।''

105. लेकिन सवाल यह है कि अभियोजन पक्ष यह कैसे साबित कर सकता है कि आरोपी भारतीय नागरिक नहीं है? शायद उस व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालना वैध है, जो ऐसे मामलों में सकारात्मक दावा करता है। यह विदेशी अधिनियम (धारा 9) के तहत आरोपित अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने का एक कारण प्रतीत होता है। अन्यथा भी, यह साक्ष्य का सामान्य नियम है कि तथ्य, जो विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में है, उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य की धारा 106 इसके लिए प्रावधान करती है। यह इस प्रकार हैः–

''106. विशेष रूप से ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार– जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।''

106. आरोपी इस तथ्य के लिए सकारात्मक सबूत प्रस्तुत कर सकता था कि वह जिला यमुना नगर के गांव भट्टवाला का निवासी है। उन्होंने एक भी सबूत पेश नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने पी. डब्ल्यू. 21 दर्शन प्रसाद कला को नाम, पता, मकान मालिक का घर,

स्थान गाँव भट्टवाला, जिला यमुना नगर में उनका घर आदि के संबंध में कुछ भी सुझाव नहीं दिया। केवल इस स्तर पर, उन गवाहों से पूछताछ करना समीचीन होगा, जिनसे अभियुक्त की ओर से पूछताछ की गई है।

107. डी. डब्ल्यू. 2 साहिस्ता अभियुक्त की पत्नी है। उसके अनुसार, उसकी शादी उस दिन से लगभग 3 साल पहले आरोपी से हुई थी, जब उसने बयान किया था (उसने 13.08.2012 को बयान किया था)। इसका मतलब है कि उसने वर्ष 2009 में किसी समय आरोपी से शादी की थी। अपनी जिरह में डी. डब्ल्यू. 2. साहिस्ता ने कहा कि उसे नहीं पता कि आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य कहाँ रहते हैं। एक स्तर पर, उसने कहा है कि आरोपी के माता–पिता मेरठ में रहते हैं। वह कभी भी आरोपी के माता–पिता और किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं मिली। डी. डब्ल्यू. 2 साहिस्ता ने अपने बयान में कहा कि उसने आरोपी के परिवार के सदस्यों के बारे में पूछताछ की थी और इसके जवाब में आरोपी ने उससे कहा था कि जब वे बच्चे को जन्म देंगे, तो वह उसे अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाएगा।

108. डी. डब्ल्यू. 1 अफसारी अभियुक्त की सास है। उसने आरोपी के माता–पिता के विवरण के बारे में भी अनभिज्ञता व्यक्त की। उसे नहीं पता कि उसके माता–पिता कहाँ रहते हैं। उसके बयान के पृष्ठ 1 की अंतिम पंक्ति में, डी. डब्ल्यू. 1 अफसारी बताती है कि आरोपी ने उसे बताया था कि वह मेरठ का निवासी है। डीडब्ल्यू1 अफसारी के अनुसार, जब वह उससे आरोपी के परिवार के सदस्यों के बारे में पूछताछ करती थी, तो वह उसे आश्वस्त करता था कि वह शादी के बाद उसे परिवार के सदस्यों से मिलवाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस गवाह ने यह भी बताया कि वह यह नहीं बता सकती कि वह पाकिस्तान का निवासी है या नहीं।

109. डी. डब्ल्यू. 3 दिलशाद अहमद अभियुक्त का पड़ोसी है। उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की कि आरोपी किस देश का है।इसी तरह, डीडब्ल्यू4 सद्दाम अली और डीडब्ल्यू5 मोहम्मद यामीन ने उस देश के बारे में भी अनभिज्ञता व्यक्त की है जिससे आरोपी संबंधित है। अभियुक्त ने अपने सबूत के भार को निर्वाहन करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी डी. डब्ल्यू. 2 साहिस्ता और सास डी. डब्ल्यू. 1 अफसारी को परिक्षित कराया, लेकिन दोनों को अभियुक्त के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चला । आश्वासन के बावजूद आरोपी ने उन्हें अपने माता–पिता से कभी क्यों नहीं मिलवाया? अभियुक्त ने न्यायालय में अपने माता–पिता को परिक्षित कराने हेतु पेश क्यों नहीं किया? अभियुक्त ने किसी भी गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की, जो उसका रिश्तेदार है? अभियुक्त के पास

गाँव भट्टावाला, पुलिस स्टेशन भट्टावाला, जिला यमुना नगर, हरियाणा का एक भी गवाह क्यों नहीं था? अभियुक्त ने यह दावा नहीं किया कि इस दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा मामला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

110. आरोपी मेरठ कब आया? पासपोर्ट अधिकारी को दिए गए अपने आवेदन दिनांक 13.08.2008 में (प्रदर्श ए105), उनका दावा है कि वे तब से 15 साल पहले मेरठ में रह रहे थे लेकिन, एल. आई. यू., मेरठ ने अपनी रिपोर्ट, प्रदर्श ए 88 में पुष्टि की कि आरोपी 6–7 साल पहले मेरठ में रह रहा था। इसलिए, आरोपी के अनुसार, वह 1993 से कभी–कभी मेरठ में रह रहा था, जब वह केवल 11 साल का था। जबकि, एलआईयू, मेरठ के अनुसार, वह 2000–2001 से मेरठ में रह रहा था। सही तस्वीर क्या है? अगर आरोपी 11 साल की उम्र में मेरठ आया था, तो क्या उसने किराए पर कमरा लिया था? जब वे केवल 11 साल के थे, तब उन्हें घर किराए पर किसने दिया था?(यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अभियुक्त का मामला है कि उसकी जन्म तिथि 16.08.1982 है)। अभियुक्त इसे सकारात्मक रूप से विस्तार से बता सकता था।

111. दिनांक 08.05.2008 के अपने शपथ पत्र (प्रदर्श ए–97) में पासपोर्ट अधिकारी को दिए जाने पर, अभियुक्त ने बयान किया कि ''मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं लेकिन केवल हस्ताक्षर करना जानता हूं।''अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र में दिया गया यह बयान अन्य कारकों को देखते हुए गलत है, जिनका वर्णन इसके बाद किया गया है। आरोपी ने जांच अधिकारी पीडब्लू 14 निर्वाकर के आवेदन पर 08.02.2010 को न्यायालय में नमूना लेखन दिया था। अभियुक्त का नमूना लेखन 6 पृष्ठों में है, एफ. एस. एल. देहरादून रिपोर्ट प्रदर्श ए82 का हिस्सा है। जैसा कि पी0डब्ल्यू 18 नवीन चंद्र पंत द्वारा साबित किया गया है।यह रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष है।पहले तीन पृष्ठों में हिंदी में नमूना लेखन होता है, जिसे एस1 से एस 3 अक्षरों द्वारा चिह्नित किया जाता है।अगले तीन पृष्ठों में अंग्रेजी में नमूना लेखन है, जिसे एस 4 से एस6 अक्षरों द्वारा चिह्नित किया गया है।

112. यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि उसने शपथ पत्र दाखिल करने के बाद लेखन कौशल सीखा। पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष 08.05.2008 को प्रदर्श ए 97 में आरोपी को 25.01.2010 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त की नमूना लिखावट निश्चित रूप से दर्शाती है कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बहुत आसानी से लिखते हैं। वह एक पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं।

113. वर्तमान मामले में, पी0डब्ल्यू 1 आर0बी0 चमोला 26.07.2010 को परिक्षित करया गया था। अवर न्यायालय द्वारा इस मामले में अवर न्यायालय की सहायता के लिए एक न्यायालय मित्र नियुक्त किया गया था। लेकिन, 24.07.2010 को अभियुक्त ने न्यायालय में एक आवेदन (अभिलेख पर 50बी/1) दिया जिसमें कहा गया था कि वह स्वयं अपना बचाव करेगा।इस आवेदन को आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। अवर न्यायालय ने दिनांक 26.07.2021 के अपने आदेश पत्र में घटनाओं की इन श्रृंखलाओं के बारे में दर्ज किया और आगे रिकॉर्ड किया कि आरोपी ने अपने दम पर पीडब्लू 1 से जिरह की।

114. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पासपोर्ट के लिए उनके आवेदन में (प्रदर्श ए93), अभियुक्त अपने पेशे को ''चित्रकार'' के रूप में दर्ज करता है। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में, वह दावा करता है कि वह फ्लैश बोर्ड का विज्ञापनदाता है। शपथ पत्र दिनांक 08.05.2008 (प्रदर्श ए97) पासपोर्ट के आवेदन के समर्थन में दिया गया था। इसमें आरोपी अनपढ़ होने का दावा करता है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय साक्ष्य की जांच और विश्लेषण कर रहा है।

115. आरोपी ने खुद पी0डब्लयू 1 आर0बी चमोला और अन्य गवाह से जिरह की। मामले के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चमोला से व्यापक रूप से जिरह की गई है। अभियुक्त द्वारा की गई जिरह औपचारिक प्रकृति की नहीं है। यह विस्तृत है। अभियुक्त द्वारा पीडब्लू4 सब इंस्पेक्टर, नदीम अतहर से जिरह बहुत विस्तार से की गई है। अभियुक्त द्वारा की गई जिरह से आगे पता चलता है कि वह जिरह की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ है। न्यायालय मित्र के बजाय, उन्होंने स्वयं गवाहों से जिरह की।आरोपी अनपढ़ नहीं था।वह अनपढ़ नहीं है। दिनांक 08.05.2008 शपथ पत्र (प्रदर्श ए 97) में कहा है कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है। जैसा कि कहा गया है, अभियुक्त ने यह साबित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया कि वह विदेशी नहीं है। आरोपी ने एक और झूठी जानकारी दी कि वह हरियाणा के यमुना नगर जिले के पुलिस स्टेशन भट्टावाला के गांव भट्टावाला का निवासी है।

116. अभियुक्त पासपोर्ट के लिए दिए गए आवेदन में चित्रकार होने का दावा करता है (प्रदर्श ए93)। उन्होंने स्वीकृत किया कि उन्हें डब्ल्यूयूएमटी द्वारा से धन प्राप्त हुआ। यह न्यायालय पहले ही मान चुकी है कि आरोपी ने संयुक्त अरब अमीरात से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भेजे गए धन को प्राप्त करने के लिए तीन डीएल जाली बनाए। डीएल नं 26497 (प्रदर्श 113) डीएल नं 26497 (प्रदर्श ए117) और डीएल नं 49672 (प्रदर्श 123)। पीडब्लू23 जसवीर सिंह और पीडब्लू24 संजय वर्मा ने इसके बारे में बताया है। अभियुक्तों को प्राप्त धन का विवरण भी पिछले पैराग्राफ में दिया गया है। न्यायालय ने पीडब्लू 23

जसवीर सिंह और पीडब्लू 24 संजय वर्मा के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया। उन्होंने न्यायालय में अभियुक्त की सही पहचान की है। यह अभियुक्त के खिलाफ आरोप नहीं है कि उसे पैसे क्यों मिले। अभियुक्त के खिलाफ यह भी आरोप नहीं है कि उसे जो पैसा मिला था, उसका क्या किया गया था। लेकिन, अभियोजन पक्ष ने यह सबूत यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया किया है कि आरोपी एक विदेशी है और विदेश के लिए काम कर रहा है। एक जासूस, जिसे बदले में पैसे मिले। चूंकि आरोपी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत आरोप लगाया गया है, इसलिए इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इस संदर्भ में, यह भी अभियुक्त की जिम्मेदारी थी कि वह न्यायालय में यह स्पष्ट करे कि डब्ल्यूयूएमटी द्वारा से उसे पैसे भेजने वाले व्यक्ति कौन थे?उन्हें डब्ल्यूयूएमटी द्वारा से विभिन्न व्यक्तियों से भारी राशि क्यों मिल रही थी?अभियुक्त चित्रकार था। यूएई से पैसे भेजने वाले लोगों के साथ उसका क्या व्यापारिक लेन–देन था?

117. आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में खाते खोले थे। उन्होंने कोड की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि उनके भारतीय स्टेट बैंक खाते में विदेशों से आया पैसा मोहम्मद यामीन, जो उनके परिचित थे द्वारा भेजा गया था।

118. पी0डब्ल्यू 11 बी0के गुप्ता और पीडब्लू20 अनुज कुमार ने डब्ल्यूयूएमटी द्वारा लेनदेन के बारे में बताया है, जिसके द्वारा आरोपी को रूपय30,000/– प्राप्त हुए। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसके भारतीय स्टेट बैंक के खाते में पैसे आए थे। आगे सवाल यह है कि किसी ने विदेश से आरोपी को पैसे भेजने का क्या कारण था? इसकी प्रासंगिकता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय धन के स्रोत को प्राप्त करने के लिए जाँच कर रही होगी, जिस पर आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन न्यायालय इसे अभियुक्त के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने और न्यायालय में यह स्पष्ट करने के अवसर के रूप में देखती है कि उसे धन क्यों मिला?आरोपी यहां भी विफल रहे।

119. समग्र चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.05. 2008 अपने पासपोर्ट आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रदर्श ए97 में गलत जानकारी दी है जिसे उचित संदेह से परे, कि अभियुक्त एक विदेशी है।अभियोजन पक्ष साबित करने में समर्थ रहा है।, आरोपी ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि वह हरियाणा के यमुना नगर जिले के पुलिस स्टेशन भट्टावाला के गांव भट्टावाला का निवासी है।उन्होंने यह भी

स्पष्ट नहीं किया कि वे मेरठ कब आए (वर्ष 1993 में, जैसा कि उन्होंने दावा किया था)। प्रदर्श ए–105), या वर्ष 2000–2001 में, जैसा कि एलआईयू, मेरठ प्रदर्श ए88 में दावा किया गया है। अभियुक्त ने भट्टावाला गाँव के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की। उन्होंने गाँव भट्टावाला या भारत में किसी अन्य स्थान पर रहने वाले अपने माता–पिता, अपने भाइयों और बहनों, यदि कोई हों, की जाँच नहीं की।उन्होंने अपने किसी भी रक्त संबंधी की जांच नहीं की। उन्होंने डी. डब्ल्यू. 2. साहिस्ता, उनकी पत्नी और डी. डब्ल्यू. 1. अफसारी उनकी सास से पूछताछ की, लेकिन दोनों को आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे उसके माता–पिता को नहीं जानते थे। अभियुक्त ने उन्हें अपने माता–पिता से मिलवाया नहीं था।अभियुक्त ने इस भार का निर्वहन नहीं किया कि वह विदेशी नहीं है।

120. इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1ए) (ए) और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने में समर्थ रहा है।

निष्कर्ष

121. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, न्यायालय इस प्रकार निष्कर्ष निकालता है:–

(i) अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1क) (क) और अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 465 और 471 को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ।

(ii) अपील में आक्षेपित निर्णय पारित करते समय, अपील न्यायालय ने अभियुक्त को सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1क) (क) और भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 471 के अंतर्गत दोषमुक्त करके विधिक भूल कारित की है। इसलिए, उस हद तक आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है।

(iii) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1ए) (ए), भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 471, जैसा कि 19.12.2012 को दर्ज किया गया था, के अधीन अपराध के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की न्यायालय द्वारा आपराधिक मामला सं. 2596 /2010, राज्य बनाम आबिद अली /असद अली /अजीत सिंह /अबू बकर में दिये गये दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है।

(iv) आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 465 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 465 के तहत दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। सजा साथ–साथ चलेगी।

(v) अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 120–बी, 419,420,467,468,469 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत आरोप साबित करने में असफल रहा है।

(vi) अपील में पारित आक्षेपित निर्णय को आरोप अंतर्गत धारा 120–बी, 419,420,467,468,469 भा0द0सं0 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की सीमा तक यथावत रखा जाता है।

(vii) चूंकि शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 के तहत आरोप अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है, इसलिए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान को आकर्षित करने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके विरुद्ध शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 9 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। अभियुक्त को सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 9 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(viii) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 4 दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

122. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

123. आरोपी को धारा 390 के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसका मुचलका रद्द कर दिया जाता है और प्रतिभूओं को दायित्व से मुक्ति दी जाती है। सजा काटने के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाए।

124. अवर न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ इस निर्णय की एक प्रति आगे के अनुपालन के लिए संबंधित अवर न्यायालय को भेजी जाए।

(रवींद्र मैथानी, जे।)

22.09.2021